



2026:AHC: 13155-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 742/1989

राम सेवक एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिलीप कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : एजीए

दिनांक 25 नवंबर, 2025 को निर्णय सुरक्षित

दिनांक 20 जनवरी, 2026 को निर्णय प्रदत्त

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

(माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला द्वारा प्रदत्त)

1- अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार, जिन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.- । सुश्री मंजू ठाकुर को सुना गया तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आपराधिक अपील, अपीलार्थी **राम सेवक** और **जबर सिंह** द्वारा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटावा द्वारा सत्र विचारण संख्या - 179 वर्ष 1987 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.03.1989 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया है।

3- एफ.आई.आर. में वर्णित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 मान सिंह पुत्र नत्थूराम/सूचनादाता ने थाना इकदिल, जनपद इटावा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनके मामा भजनलाल शर्मा (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित), जो जनता जूनियर हाई स्कूल, किलो सुल्तानपुर, गाँव महनेपुर के प्रधानाचार्य थे, की उसी गाँव के अपीलार्थी संख्या 1/रामसेवक पुत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



बीरबल पाल के साथ भूमि को लेकर रंजिश थी। उसी रंजिश के कारण, ग्राम प्रधान रामसेवक मृतक को मारने का अवसर तलाश रहा था। दिनांक 08.06.1987 को सुबह लगभग 8:00 बजे जब मृतक, गाँव महनेपुर के मानसिंह/पी.डब्ल्यू.-2, वीरेंद्र सिंह लोधी राजपूत/पी.डब्ल्यू.-3 और सूचनादाता/पी.डब्ल्यू.-1 के साथ इटावा बाजार जा रहे थे। जैसे ही वे सभी मानिकपुर मिखन गाँव के सामने बंबे के मोड़ पर पहुँचे, उसी गाँव का अपीलार्थी संख्या 2, जबर सिंह, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल संख्या यूएचके 2634 पर पीछे से आया, जिसके पीछे अपीलार्थी संख्या 1/रामसेवक प्रधान बैठा था। रामसेवक के हाथ में 12 बोर की दोनाली बंदूक थी। मोड़ से थोड़ा आगे जबर सिंह ने मोटरसाइकिल रोकी और कहा, "प्रधान जी अब किसका इंतजार कर रहे हैं, मृतक को मारने का इससे बेहतर मौका कब मिलेगा।" इस ललकार पर, अपीलार्थी संख्या 1/रामसेवक ने जान से मारने की नीयत से अपनी बंदूक से मृतक पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जबर सिंह ने भी अपना पिस्तौल निकाला और गोलीबारी शुरू कर दिया। दोनों ने मृतक के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बंदूकों के डर से, बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के गड्ढे में छिप गए और पूरी घटना देखी।

4- सूचना प्राप्त होने के बाद, दिनांक 08.06.1987 को सुबह 10:00 बजे चिक एफ.आई.आर. पंजीकृत की गई। लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर, धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध संख्या 97/1987 के रूप में एफ.आई.आर. विधिवत दर्ज की गई। चिक एफ.आई.आर. संख्या 75 दर्ज की गई और जनरल डायरी (जी.डी.) की रपट संख्या 14, दिनांक 08.06.1987 को सुबह 10:00 बजे इसकी प्रविष्टि की गई। इसके बाद, विधि के अनुसार विवेचना तत्काल सक्षम विवेचना अधिकारी को सौंपी गई।

5- विवेचना अधिकारी ने प्रकरण की गहन विवेचना किया। मृतक के शव का विधि के अनुसार पंचायतनामा किया गया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चुरी भेजा गया, जिसे विधिवत संपन्न किया गया।

6- विवेचना के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अपराध में कथित रूप से प्रयुक्त आग्नेयास्त्र क्रमशः अपीलार्थी संख्या 1 और 2 की निशानदेही पर बरामद किए गए। विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों के बयान दर्ज किए और अन्य प्रासंगिक सामग्री एकत्र किया। घटना स्थल से बरामद खून से सनी वस्तुएं और बरामद आग्नेयास्त्रों को परीक्षण एवं मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे केस डायरी का हिस्सा बनाया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- विवेचना पूरी होने के बाद, विवेचना अधिकारी ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 10.07.1987 को अपराध का संज्ञान लिया गया और वाद 07.12.1987 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, क्योंकि यह अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था।

8- इसके बाद अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए, जिनसे उन्होंने इनकार किया और विचारण की मांग किया। परिणामस्वरूप, विचारण प्रारंभ हुआ। अपने वाद के समर्थन में, अभियोजन ने ग्यारह साक्षीगण को परीक्षित किया और पच्चीस दस्तावेजी प्रदर्शों को सिद्ध किया, जिनमें चिक एफ.आई.आर., जी.डी. प्रविष्टि, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.एस.एल. रिपोर्ट, नक्शा-नजरी और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

9- अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों को आजीवन कारावास के दण्डादेश दिया गया।

10- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के उक्त निर्णय और दण्डादेश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने वर्तमान आपराधिक अपील दायर किया है, जिसमें अपील के ज्ञापन में निर्धारित विभिन्न आधारों पर आक्षेपित निर्णय पर प्रहार किया गया है।

11- इससे पहले कि हम प्रतिस्पर्धी तर्कों पर संज्ञान लें, उन संदर्भों की स्पष्ट समझ के लिए जिनमें वे तर्क दिए गए हैं, अभियोजन साक्षीगण की गवाही पर गौर करना उपयुक्त होगा। अभियोजन साक्षीगण की गवाही निम्नानुसार है:-

12- **मानसिंह पुत्र नत्थूराम (पी.डब्ल्यू.-1/सूचनादाता)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मृतक भजनलाल उनके मामा थे। वह 1972 से 1982 तक ग्राम प्रधान रहे। वर्ष 1974 में उन्होंने गाँव में 'जनता जूनियर हाई स्कूल' के नाम से एक स्कूल स्थापित किया और इसके अध्यक्ष बने। उनके पास एम.ए. और बी.एड. की योग्यता थी, और वे 1976 से जनता जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले, वह किटलो सुल्तानपुर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। अभियुक्त रामसेवक गाँव महनेपुर का निवासी है। वह पहले पुलिस बल में कांस्टेबल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, लेकिन बाद में सेवा से इस्तीफा देकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। यह चुनाव रामसेवक और मृतक भजनलाल के बीच हुआ, जिसमें रामसेवक विजयी हुआ। इसके बाद जनता माध्यमिक विद्यालय की कार्यकारी समिति के चुनाव हुए, जिसमें रामसेवक और भजनलाल दोनों ने भाग लिया। इसके बाद स्कूल के प्रबंधक पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें मृतक भजनलाल चुने गए। उनके साथ अन्य सदस्य भी प्रबंधन समिति में चुने गए। भजनलाल के प्रबंधक कार्यकाल के दौरान स्कूल को सक्षम शिक्षा अधिकारियों से विधिवत मान्यता प्राप्त हुई।

13- जब रामसेवक उक्त चुनाव में हार गया, तो उसने उसी गाँव में एक और स्कूल खोल लिया। मृतक भजनलाल ने उक्त स्कूल की स्थापना के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया। उक्त आपत्तियों की प्रतियां अन्य संबंधित शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गईं। उक्त प्रार्थना पत्र 5 दिसंबर 1985 को व्यक्तिगत रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया था। उस समय वह भजनलाल के साथ उनके कार्यालय गए थे। प्रार्थना पत्र की प्रतियां व्यक्तिगत रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और महिला शिक्षा अधिकारी को भी दी गई थीं, और प्राप्ति की पावती के रूप में कार्यालय प्रति पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। उनके पास उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यालय प्रति है, जो टाइप की गई है और पिछले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। मृतक भजनलाल ने उनकी (साक्षी की) उपस्थिति में उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इसे प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। हस्ताक्षर के नीचे स्कूल प्रबंधक की मुहर भी लगी है। तत्पश्चात, स्कूल की प्रबंध समिति ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एक सिविल वाद दायर किया। उक्त वाद में माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक का प्रतिनिधित्व करने वाली सरला देवी को पक्षकार बनाया गया था। उक्त वाद अभी भी चल रहा है।

14- 1 जुलाई 1986 को, जब जनता विद्यालय का संचालन शुरू हुआ, स्कूल परिसर में लूट की एक घटना हुई। अभियुक्त रामसेवक, अभियुक्त जबर सिंह और कई अन्य व्यक्तियों ने उक्त लूट को अंजाम दिया। घटना के समय, वह और अन्य शिक्षक स्कूल में मौजूद थे। अभियुक्तगण बंदूक, पिस्तौल और राइफल से लैस थे। इसके तुरंत बाद, वह उक्त लूट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन गए। हालांकि, पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसी दिन, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया। उक्त प्रार्थना पत्र कई प्रतियों में टाइप किया गया था और उन्होंने मूल आवेदन के साथ-साथ कार्बन प्रति पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी अपने हस्ताक्षर किए थे। कागज़ संख्या 26ए दिखाए जाने पर, उन्होंने बताया कि यह कार्यालय प्रति थी और इस पर उनके हस्ताक्षर थे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, एस.एस.पी. या पुलिस अधिकारियों द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, अगले दिन, उन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र की एक अन्य प्रति पर हस्ताक्षर किए और उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा। उन्होंने मृतक भजनलाल को भी लूट की घटना के बारे में सूचित किया। स्कूल के प्रबंधक के रूप में, भजनलाल ने भी पंजीकृत डाक द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र टाइप किया गया था और भजनलाल द्वारा उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था। भजनलाल ने उक्त प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति के साथ-साथ कार्यालय प्रतियों संख्या 283/1 और 283/2 पर भी उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। उक्त पंजीकृत प्रेषण से संबंधित डाक रसीद अभिलेख पर उपलब्ध है और पत्रावली पर कागज़ संख्या 29ए के रूप में चिह्नित है।

15- उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त जबर सिंह, अभियुक्त रामसेवक का भतीजा है। एटॉमिक स्कूल की लूट के लिए अभियुक्त रामसेवक, जबर सिंह और अन्य के विरुद्ध अभी भी एक वाद चल रहा है। इस स्कूल के कारण भजनलाल और अभियुक्तों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे।

16- उन्होंने आगे बताया कि 8 जून 1987 की सुबह 8 बजे का समय था, वे अपने मामा भजनलाल और गाँव महनेपुर के मानसिंह और वीरेंद्र के साथ अपने गाँव से इटावा बाजार आ रहे थे। जब वे गाँव मानिकपुर भीखन के सामने बंबे के मोड़ के पास पहुँचे, तो उसी गाँव का अपीलार्थी संख्या 2 जबर सिंह बुलेट मोटरसाइकिल संख्या यूएचके 2634 पर पीछे से आया, जिसके पीछे अभियुक्त रामसेवक बैठा था, जो दोनाली बंदूक से लैस था, वे आए और उनके आगे मोटरसाइकिल रोक दी। अभियुक्त जबर सिंह ने रामसेवक से कहा कि "प्रधान जी अब किसका इंतजार कर रहे हैं, इस हरामी को गोली मार दो।" यह कहने के बाद दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतर गए। अभियुक्त रामसेवक ने अपनी दोनाली बंदूक से भजनलाल पर गोली चला दी। गोली भजनलाल को लगी। गोली की आवाज सुनकर वे दौड़े और पास के गड्ढे में छिप गए। अभियुक्त जबर सिंह भजनलाल के पास आया और अपने पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दिया। अभियुक्त रामसेवक ने भी भजनलाल पर अपनी दोनाली बंदूक से और गोलियां चलाईं। गोली लगने की चोटों के परिणामस्वरूप भजनलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों के पास आग्नेयास्त्र होने के डर से वे मृतक के पास जाने या कोई सहायता देने में असमर्थ थे। इसके बाद दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पर इटावा की दिशा में मौके से भाग गए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17- अभियुक्तों के चले जाने के बाद, वे पास के गड़ढे से बाहर आए और शोर मचाते हुए गाँव की ओर बढ़े। लगभग 15-20 कदम चलने के बाद उन्हें मेघसिंह मिले। वे मेघसिंह के साथ घटना स्थल पर वापस आए। उस समय तक, सड़क से गुजरने वाले लगभग 20-25 लोग उस स्थान पर एकत्र हो गए थे, जहाँ भजनलाल मृत पड़े थे। इसके बाद, वीरेंद्र सिंह, मेघसिंह, मानसिंह और कुछ अन्य व्यक्ति मौके पर ही रहे, और वे घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वीरेंद्र सिंह की साइकिल पर इकदिल पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उन्हें इकदिल कस्बे में कागज़ मिला, रिपोर्ट लिखी और फिर पुलिस स्टेशन गए। लिखित रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और उसे इकदिल पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। उक्त लिखित रिपोर्ट उनके द्वारा लिखी गई थी और इसे प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित और सिद्ध किया गया है।

18- रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, वे घटना स्थल पर वापस आ गए। विवेचना अधिकारी लगभग 11:00-12:00 बजे दोपहर में मौके पर पहुँचे। उन्होंने भजनलाल के शव का पंचायतनामा किया और उसके बाद उनकी साइकिल उन्हें (सूचनादाता को) वापस कर दिया।

19- जिस स्थान पर भजनलाल को चोटें आईं और जहाँ उनका शव पड़ा था, वहाँ जमीन पर खून गिरा था। विवेचना अधिकारी ने उनकी उपस्थिति में मौके से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी दोनों को एकत्र किया और सील किया। घटना स्थल से, विवेचना अधिकारी ने चार खाली खोखे और मृतक की साइकिल जब्त किया। प्रत्येक जब्ती के संबंध में अलग-अलग फर्द बरामदगी तैयार किया गया, और खाली खोखों को विधिवत सील किया गया।

20- इसके बाद, दोपहर लगभग 2:00 बजे, भजनलाल के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए घटना स्थल से भेजा गया।

21- उसी दिन, थाना प्रभारी ध्रुवलाल यादव द्वारा मौके पर उनका बयान दर्ज किया गया।

22- पी.डब्ल्यू.-2 मानसिंह पुत्र भीम लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना 8 जून 1987 को सुबह लगभग 8:00 बजे हुई थी। उस दिन, वह खरीदारी के उद्देश्य से अपने गाँव से इटावा जा रहा था। उस समय, मृतक भजनलाल, मानसिंह/ प्रथम सूचनादाता और वीरेंद्र सिंह उनके साथ साइकिल पर थे। वे तीन साइकिलों पर यात्रा कर रहे थे: एक साइकिल मानसिंह/प्रथम सूचनादाता द्वारा चलाई जा रही थी, मृतक भजनलाल दूसरी साइकिल चला रहे थे, और वह वीरेंद्र सिंह के साथ तीसरी साइकिल पर सवार थे। जब वे मानिकपुर भीखन की ओर बढ़ते हुए बंबे के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मोड़ के पास सड़क पर पहुँचे, तो उनके पीछे से एक बुलेट मोटरसाइकिल आई। उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त जबर सिंह द्वारा चलाई जा रही थी, और अभियुक्त राम सेवक पीछे बैठा था। दोनों अभियुक्त उनके गाँव के निवासी हैं और उस दिन न्यायालय में उपस्थित थे। उस समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अभियुक्त राम सेवक एक दोनाली बंदूक लिए हुए था। जैसे ही मोटरसाइकिल उनके पास आई, थोड़ा आगे जाकर वह रुक गई, अभियुक्त जबर सिंह ने कहा, "उस हरामी को गोली मार दो प्रधान जी, हमें इससे बेहतर मौका कब मिलेगा।" मोटरसाइकिल रोकने के बाद, दोनों अभियुक्त वाहन से नीचे उतर गए और राम सेवक ने अपनी बंदूक से गोलीबारी शुरू कर दिया। गोली भजनलाल को लगी। डर के मारे, वे छिपने के लिए दौड़े और पास के गड्ढे में बनाए गए 'थूरा' के पीछे छिप गए। ये थूरा पेड़ लगाने के लिए बनाए गए थे। ये थूरा सड़क के दक्षिणी किनारे पर थे। अभियुक्त जबर सिंह ने भी अपना पिस्तौल निकाल लिया और दोनों अभियुक्तों ने भजनलाल पर गोलियां चलाईं। जब उन्हें लगा कि भजनलाल मर चुका है, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल चालू किया और इटावा की ओर भाग गए। जब अभियुक्त भाग गए, तो वे गाँव की ओर दौड़े और शोर मचाया।

23- उन्होंने आगे बताया कि लगभग 20-25 कदम दौड़ने के बाद, उन्हें मेघ सिंह मिले, जिन्होंने उन्हें रोका और पूछा कि वे क्यों दौड़ रहे हैं। फिर उन्होंने मेघ सिंह से उस स्थान पर जाने के लिए कहा, जहाँ घटना हुई थी। फिर, साक्षीगण और मेघ सिंह मौके पर पहुँचे और भजनलाल को मृत पाया। उनके शरीर से खून निकल रहा था, जो जमीन पर टपक रहा था। वे पश्चिम की ओर से मौके पर पहुँचे। जगन्नाथ आ गए थे। इस बीच, घटना स्थल पर कुछ अज्ञात लोग भी एकत्र हो गए थे।

24- मानसिंह (प्रथम सूचनादाता) घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।

25- उन्होंने आगे बताया कि भूमि के संबंध में एक विवाद चल रहा था, क्योंकि गणेश दत्त जाखोली ने पहले मृतक भजनलाल के पक्ष में एक विलेख निष्पादित किया था, और बाद में उसी भूमि को अभियुक्त राम सेवक के नाम पर दर्ज कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा लंबित था। मृतक भजनलाल के पुत्र का विवाह 11-12 जून 1987 को, यानी घटना के कुछ दिनों बाद तय हुआ था। उनके भाई का विवाह भी 17-18 जून 1987 को निर्धारित था।



26- उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद, डर के कारण, वे तब तक गाँव में नहीं रहे, जब तक कि अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हो गए। हालांकि, कुछ अवसरों पर, वे बच्चों को देखने के लिए एक या दो घंटे के लिए गाँव आते थे।

27- जब साक्षीगण को कपड़ों का सीलबंद बंडल दिखाया गया, जिसे न्यायालय में खोला गया, तो उन्होंने बताया कि घटना के समय मृतक ने कुर्ता (प्रदर्श-1), पाजामा (प्रदर्श-2), अंगोछा (प्रदर्श-3) और एक तौलिया (प्रदर्श-4) पहना हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि मृतक ने जांघिया और बनियान भी पहनी हुई थी, लेकिन वे उनकी पहचान नहीं कर सके क्योंकि वे आंतरिक वस्त्र थे।

28- अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने बताया कि मेघ सिंह के कहने पर वे घटना स्थल पर वापस लौटे थे। वहाँ पहुँचने पर, उन्होंने भजनलाल को मृत पड़ा देखा।

29- उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध उनकी कोई पूर्व रंजिश या शत्रुता नहीं थी। यहाँ तक कि घटना के दिन भी अभियुक्तों ने उन्हें नुकसान पहुँचाने या मारने का प्रयास नहीं किया। हालांकि, अभियुक्तों के डर के कारण, वे गाँव में नहीं रहते थे और केवल थोड़े समय के लिए आते थे। इस अवधि के दौरान, उन्हें पता था कि प्रथम सूचनादाता/मानसिंह और साक्षी वीरेंद्र सिंह गाँव में रह रहे थे।

30- इस समय के दौरान, वे कभी इटावा में अपने रिश्तेदारों के साथ और कभी मैनपुरी जिले के भरथरा में अपनी बहन के साथ रहे।

31- उन्होंने डर के कारण रिपोर्ट करने के लिए इकदिल पुलिस स्टेशन से संपर्क नहीं किया क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान, उन्होंने इस मामले के संबंध में इटावा में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक या किसी अन्य पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं किया था।

32- पी.डब्ल्यू.-3 वीरेंद्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मृतक भजनलाल उनके चाचा थे। उनके पास गाँव महनेपुर में कृषि भूमि थी, जहाँ उनका परिवार संयुक्त रूप से रहता था। घटना से पहले, भजनलाल ने इटावा के एक छोटे से कस्बे अशोक नगर में एक पक्का मकान बनाया था, जहाँ वे और उनका परिवार घटना के समय ज्यादातर रहते थे। गाँव से आने पर अशोक नगर इटावा के प्रवेश बिंदु पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



33- वे 1980 से, घटना से पहले से, अपने गाँव में स्थित उस स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके प्रबंधक मृतक भजनलाल थे। यह घटना 8 जून 1987 को हुई थी। उस दिन, उनके चाचा भजनलाल (मृतक), नत्थूराम के पुत्र मानसिंह और भीम लाल के पुत्र मानसिंह अपने गाँव से इटावा की ओर जा रहे थे। जब वे बंबे के मोड़ पर पहुँचे, सीधे मानिकपुर भीखन गाँव की ओर बढ़ते हुए, अभियुक्त जबर सिंह द्वारा चलाई जा रही बुलेट मोटरसाइकिल, जिस पर राम सेवक पीछे बैठा था, उनके पास से गुजरी और रुक गई। जैसे ही वे रुके, जबर सिंह ने ललकारा, "प्रधान जी, अब क्या देख रहे हो? इस हरामी को गोली मार दो!" राम सेवक ने पहले अपनी दोनाली बंदूक से गोली चलाई। जैसे ही वे अपनी साइकिलों से उतरे और भागने का प्रयास किया, भजनलाल गिर गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। भयभीत होकर, उन्होंने अपनी साइकिलें छोड़ दीं और सड़क के दक्षिणी किनारे पर पेड़ों की कतार वाली खाई के पीछे शरण लिया। पिस्तौल से लैस जबर सिंह और राम सेवक भजनलाल के पास पहुँचे और उन पर और गोलियाँ चलाईं। भजनलाल की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद, अभियुक्तों ने अपनी मोटरसाइकिल चालू किया और इटावा की ओर भाग गए। वे (साक्षीगण) शोर मचाते हुए गाँव की ओर दौड़े। कुछ राहगीरों को देखकर वे रुक गए और उनके साथ उस स्थान पर वापस आए, जहाँ शव और उनकी साइकिलें पड़ी थीं।

34- घटना स्थल से नत्थूराम के पुत्र मानसिंह घटना की रिपोर्ट करने के लिए इकदिल पुलिस स्टेशन गए। दो अभियुक्तों, जबर सिंह और राम सेवक को देखकर, साक्षी ने उनकी पहचान किया कि दोनों अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित थे।

35- **पी.डब्ल्यू.-4, वह डॉक्टर** जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने सशपथ कथन किया कि 9 जून 1987 को वह पुलिस अस्पताल, इटावा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। उस दिन, अपराह्न लगभग 4:30 बजे, उन्होंने लोटन लाल के पुत्र भजन लाल, निवासी महनेपुर के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया, जिन्हें इकदिल पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल 817 बृज बिहारी तिवारी और होम गार्ड बीरबल द्वारा लाया गया था। मृतक की उचित पहचान की गई, और शव को सील किया गया था। शव पर लगी मुहर नमूना मुहर से मेल खाती थी।

36- परीक्षण पर, यह अंकित किया गया कि मृतक की मृत्यु, परीक्षण से लगभग 12 घंटे पहले हुई थी। रिगर मॉर्टिस उपस्थित था। शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पायी गईं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1- एक विदीर्ण घाव, लगभग 18 सेमी x 8 सेमी, जिसमें मांसपेशियां और हड्डी शामिल थी, दाहिने ऊपरी अग्रभाग के बाईं ओर स्थित था, जो ऊपरी बांह के निचले हिस्से तक फैला हुआ था। अग्र और पश्च सतहें कई छरों के रगड़ की चोटों से घिरी हुई थीं, जिनके प्रवेश के निशान 0.5 सेमी x 0.5 सेमी (त्वचा तक गहरे) से 3 सेमी x 3 सेमी (त्वचा तक गहरे) तक भिन्न थे। घावों में कालापन और टैटूइंग दिखाई दे रही थी, और घाव के किनारों के ऊपरी हिस्से पर झुलसन मौजूद थी, मांसपेशियां और वाहिकाएं विदीर्ण थीं।

2- एक विदीर्ण घाव, लगभग 2 सेमी x 2.5 सेमी, मांसपेशियों के ऊतकों को भेदता हुआ, दाहिनी हथेली के पिछले हिस्से के पार्श्व और ऊपरी भाग में स्थित था, जिसके चारों ओर दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर कालापन था।

3- आग्नेयास्त्र का एक प्रवेश घाव, लगभग 3 सेमी x 3 सेमी, जिफाइड स्टर्नम जोड़ के नीचे छाती की गुहा तक गहरा, दोनों निपल्स से लगभग 10 सेमी नीचे और मध्य में। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, कालापन और झुलसन मौजूद थी।

4- आग्नेयास्त्र का एक प्रवेश घाव, लगभग 5 सेमी x 4 सेमी, छाती के बाईं ओर के ऊपरी और सामने के हिस्से में, बाएं निप्पल से लगभग 7 सेमी ऊपर स्थित था। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।

चोट संख्या 6 और 4 आपस में जुड़ी हुई थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर और पीछे की ओर बाईं ओर मुड़ी हुई थीं।

5- आग्नेयास्त्र का एक प्रवेश घाव, लगभग 3 सेमी x 2 सेमी, छाती के बाईं ओर के निचले हिस्से के बाएं पार्श्व भाग में 'मध्य एक्सिलरी' निचले हिस्से पर पेट में गहरा भेदता हुआ। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, कालापन और झुलसन मौजूद थी।

6- आग्नेयास्त्र का एक निकास घाव 6 सेमी x 4 सेमी, बाईं ओर की छाती के निचले पार्श्व और पश्च भाग और पेट के ऊपरी हिस्से पर, आंतों के लूप बाहर



निकल रहे थे। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। चोट संख्या 5 और 6 आर-पार थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं।

7- आग्नेयास्त्र का निकास घाव 6 सेमी x 3 सेमी, छाती के पीछे बाईं ओर निचले हिस्से के पश्च पार्श्व भाग में। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, चोट संख्या 5 और 7 आपस में जुड़ी हुई थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ रही थीं।

8- आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 1 सेमी x 1 सेमी, छाती की गुहा तक गहरा, चोट संख्या 7 से 5 सेमी ऊपर। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।

9- आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 1.5 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, छाती के बाईं ओर ऊपरी और मध्य भाग में पश्च और 'एक्सिलरी फोल्ड' के ऊपरी हिस्से में, कालापन और झूलसन मौजूद था।

10- आग्नेयास्त्र का निकास घाव 6 सेमी x 5 सेमी, छाती के पार्श्व पहलू के निचले भाग के पश्च पार्श्व पहलू पर, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, चोट संख्या 85 और 10 आर-पार थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर निर्देशित थीं।

11- आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव 2 सेमी x 2 सेमी, छाती के पीछे बाईं ओर ऊपरी भाग में छाती की गुहा तक। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।

37- आंतरिक परीक्षण से पता चला कि बाईं ओर की सभी पसलियाँ 1 से 11 तक आगे और पीछे दोनों तरफ से टूटी हुई थीं। 'प्लूरा' दोनों तरफ से विदीर्ण थे। द्विपक्षीय विदारण था। दोनों फेफड़े फट गए थे। 'पेरिकार्डियम' और हृदय फट गए थे। रक्त वाहिकाएं फटी हुई थीं।

38- छाती की गुहा में लगभग 5 औंस गाढ़ा खून था। 'पेरिटोनियम' विदीर्ण था। पेट की गुहा में लगभग 10 औंस जमा हुआ खून, बिना पचा भोजन और मल पदार्थ था। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और पित्ताशय फट गए थे। अग्न्याशय, प्लीहा और गुर्दे सभी फट गए थे।

39- शव-परीक्षण के समय, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, जिस पर उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर हैं। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमा था, जिनमें से सभी प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने अपने कब्जे में शव से एक बनियान, एक कुर्ता, एक तौलिया, एक अंगोछा, एक पाजामा, काले और भूरे रंग का जांघिया लिया।
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उन्हें एक अलग सीलबंद बंडल में रखने के बाद, उन पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया, जो शव लाए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-9 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। शव-परीक्षण के दौरान, शरीर में विकृत धातुओं का एक बड़ा टुकड़ा, 11 छर्रे और एक वैडिंग का टुकड़ा पाया गया, जिसे एक अलग लिफाफे में सील कर उन पुलिस अधिकारियों को दिया गया, जो शव लाए थे। यह संभव है कि मृतक की मृत्यु-पूर्व चोटें 08.06.1987 को सुबह 8 बजे आई हों, उन चोटों के कारण मृत्यु तत्काल हुई होगी।

40- अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने कथन किया कि शव के साथ पंचायतनामा भी उनके सामने लाया गया था। पंचायतनामा में मृतक की मृत्यु का समय सुबह 09:00 बजे लिखा गया है। पंचायतनामा पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। झुलसन आग्नेयास्त्र की ज्वाला के कारण होती है और झुलसन तब हो सकती है, जब एक इंच से छह इंच की दूरी से गोली चलाई जाए। पंचायतनामा के समय शव का चालान फॉर्म भी शव और पंचायतनामा के साथ उनके सामने था, उन्होंने उस पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके उस खंड में, जिसमें मृत्यु का समय दर्ज है, स्पष्ट रूप से सुबह 09:00 बजे लिखा है। इस पर कोई ओवरराइटिंग या कटिंग नहीं है।

41- चोट संख्या 11 को छोड़कर, सभी प्रवेश घाव की चोटें बहुत करीब से गोली चलाने के कारण हुई होंगी।

42- पी.डब्ल्यू-5 हेड कांस्टेबल राम नाथ सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि जून 1987 में वह पुलिस स्टेशन इकदिल में हेड मुहर्रिर के रूप में तैनात थे। 8 जून 1987 को सुबह 10:00 बजे, उन्हें इकदिल पुलिस स्टेशन में नत्थूराम के पुत्र मानसिंह से एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह लिखित शिकायत प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित है। उस लिखित रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने एक चिक एफ.आई.आर. तैयार किया, जिस पर उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर हैं। इसे प्रदर्श क-10 के रूप में चिह्नित किया गया है। इस सूचना के आधार पर, जी.डी. रपट संख्या 14 पर सुबह 10:00 बजे धारा 302 भा.द.सं. और धारा 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत वाद संख्या 97/1987 के रूप में पंजीकृत किया गया। मूल जी.डी. रपट उनके कब्जे में है और सही है। इसकी प्रति पर उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर हैं, जिसे प्रदर्श क-11 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसकी कार्बन प्रति मूल के साथ ही एक ही प्रक्रिया में लिखी गई थी। इस वाद से संबंधित डायरी 9 जून 1987 को सुबह भेजी गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



43- थाना इकदिल, जनपद इटावा के पी.डब्ल्यू.-6 उप-निरीक्षक जयशंकर दुबे ने अपना बयान दिया कि जून 1987 में वह इकदिल पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात थे। 08.06.1987 को सुबह 10:00 बजे इकदिल पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थिति में इस घटना की सूचना दी गई थी। इसकी विवेचना उन्हें सौंपी गई थी। वे चिक रिपोर्ट और जी.डी. की केस डायरी में नकल करने के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए। वे भरथना रोड पर घटना स्थल पर पहुँचे। मृतक के परिवार की महिलाएं और पुरुष वहां मिले। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया और पंचायतनामा तैयार किया। जिन्हें पंच नियुक्त किया गया था, उन पर उनके हस्ताक्षर थे। शव पर मुहर लगाई गई और उसे कांस्टेबल बृज बिहारी तिवारी और होम गार्ड बीरबल को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज फोटो-लाश, चालान-लाश और सी.एम.ओ. को पत्र आदि के साथ दिए गए थे, उन सभी पर उनके हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा उनके द्वारा लिखा गया है और प्रदर्श क-12 के रूप में हस्ताक्षरित है। फोटो-नाश, चालान- नाश और चिट्ठी- नाश उप-निरीक्षक चंद्रशेखर गुप्ता की लिखावट में हैं, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। क्रमशः प्रदर्श क-13 से प्रदर्श क-15 सम्मिलित किए गए हैं। उप-निरीक्षक चंद्रशेखर क्षेत्र में गश्त करने में व्यस्त थे और उस दौरान वे वहां पहुँचे। पंचायतनामा का मूल बाइंडर न्यायालय में सीलबंद स्थिति में रखा गया था और न्यायालय में खोला गया। इसके पृष्ठ संख्या 21 पर मूल पंचायतनामा के प्रथम पृष्ठ की कार्बन प्रति है, जिसमें मृत्यु के कारण के कॉलम में "गोली मारकर मृत्यु करना" दिनांक 08.06.1987 को सुबह 8:00 बजे है। पत्रावली में, दिनांक 08.06.1987 को सुबह 08:00 बजे के समय में संख्या 8 को बदलकर 9 कर दिया गया है। वह उनके द्वारा नहीं किया गया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदर्श क-14 (चालान- नाश) में, मृत्यु का समय सुबह 9:00 बजे लिखा है, जो उप-निरीक्षक चंद्रशेखर द्वारा गलती से लिखा गया था। उन्होंने मृतक की साइकिल को फर्द बरामदगी के माध्यम से कब्जे में लिया, जिसे उनके द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था और उस पर साक्ष्यों के हस्ताक्षर भी लिए गए थे, उक्त को प्रदर्श क-16 के रूप में चिह्नित किया गया था। पास की एक अन्य साइकिल को भी कब्जे में लिया गया और उसका सुपुर्दगीनामा, जिसे प्रदर्श क-17 के रूप में चिह्नित किया गया, उनकी लिखावट में तैयार किया गया। साइकिल सूचनादाता को सौंप दी गई। उन्होंने उनके द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित फर्द के माध्यम से घटना स्थल से खून से सनी और सादी मिट्टी लिया था, साक्षीगण के हस्ताक्षर भी वहां हैं, उसे प्रदर्श क-18 के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों मिट्टी को अलग-अलग प्लास्टिक की बोतलों में सील किया गया था। प्लास्टिक की बोतलों पर वस्तु प्रदर्श 5 और 6 अंकित किए गए थे। घटना स्थल से, उन्होंने चार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



खाली खोखे बरामद किए, जिसका फर्द उनके द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया गया है और साक्षीगण के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गए, जिसे प्रदर्श क-19 के रूप में चिह्नित किया गया है। इन खाली खोखों को भी मौके पर ही सील और मुहरबंद किया गया था। जब वे पुलिस स्टेशन से घटना स्थल के लिए निकले, तो पुलिस स्टेशन कार्यालय के हेड कांस्टेबल ने उन्हें चिक रिपोर्ट और जी.डी. प्रविष्टि की प्रतियां दीं। उन्हें पुलिस स्टेशन से प्रदर्श क-11 की प्रति और प्रदर्श क-20 की प्रति प्राप्त हुई। उन्होंने ये दोनों दस्तावेज पोस्टमार्टम के लिए भेजे। प्रदर्श क-20 मूल चिक के साथ तैयार की गई एक प्रति है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। सूचनादाता और साक्ष्यों के शव के साथ चले जाने के बाद, इकदिल पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक ध्रुव लाल मौके पर पहुँचे और विवेचना अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद, वे रात 09:10 बजे जब्त की गई सामग्री के साथ पुलिस स्टेशन लौटे और अपने कब्जे में मौजूद सभी सामानों को अभिलेखित किया और उन्हें सीलबंद स्थिति में पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपनी लिखावट में दिनांक 08.06.1987 की जी.डी. रपट संख्या 34 में इसका संदर्भ दिया। मूल जी.डी. उनके सामने है। असली प्रति उनके हस्तलेख में है और इसकी कार्बन प्रति को प्रदर्श क-21 के रूप में सिद्ध किया गया।

44- पी.डब्ल्यू.-7 कांस्टेबल राम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि अगस्त-सितंबर 1986 में वह इकदिल पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के रूप में तैनात थे। मृतक के कपड़े, खून से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, घटना में प्रयुक्त डी.बी.बी.एल. बंदूक, घटना में प्रयुक्त 12 बोर की देशी पिस्तौल और खाली खोखे अलग-अलग बंडलों में सीलबंद स्थिति में वह पुलिस स्टेशन के मालखाने में ले गए और उस पर संख्या डलवाया और 'सी.जे.एम. न्यायालय भेजा गया' की मार्किंग करवाई। उन्हें फिर से सी.जे.एम. न्यायालय से ये वस्तुएं दो सीलबंद बंडलों में मिलीं, जिनमें एक बंडल में कागजात, सादी और खून से सनी मिट्टी थी और दूसरे बंडल में डी.बी.बी.एल. बंदूक, देशी पिस्तौल और कारतूस थे और उन्हें वापस पुलिस स्टेशन ले आए और मालखाने में जमा कर दिया।

45- दिनांक 02.09.1987 को ये सभी वस्तुएं पुलिस स्टेशन के मालखाने से लेकर, वह परीक्षण के लिए लखनऊ ले गए। दिनांक 03.09.1987 को कागजात का बंडल और दोनों मिट्टी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ में जमा कर दिया गया। और विवादित बंदूक वाला दूसरा बंडल डॉकेट में उल्लेख न होने के कारण वापस कर दिया गया। दिनांक 04.09.1987 को न्यायालय में कमी दूर करने के बाद, वह फिर से उन वस्तुओं को पुलिस स्टेशन ले गए और उसके मालखाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में जमा कर दिया। फिर से दिनांक 06.09.1987 को डॉकेट के साथ विवादित बंदूक का बंडल मालखाने से प्राप्त करने के बाद, वह उसे लखनऊ ले गए और दिनांक 07.09.1987 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ में जमा कर दिया। जब तक वे वस्तुएं उनके पास रहीं, उनकी मुहर अक्षुण्ण थी।

46- गाँव महनेपुर, थाना इकदिल, जनपद इटावा निवासी बचनलाल के पुत्र **पी.डब्ल्यू.-8 बटेश्वरी** ने कथन किया कि भजन लाल की हत्या के लगभग 24-25 दिन बाद, वह अपने गाँव के जवाहर लाल के साथ चितभवन गाँव से घर लौट रहा था। चितभवन से उनके रास्ते में, सड़क पर एक पुलिया पर, पुलिस अधिकारी, एक कांस्टेबल के साथ, और अभियुक्त जबर सिंह, एक पुलिस वाहन में थे। उन्होंने उन दोनों को बुलाया और पूछा कि वे कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे महनेपुर में रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वे जबर सिंह को जानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वह उनके गाँव का है। अधिकारी ने कहा, "देखो जबर सिंह तुम्हें क्या बता रहा है।" जबर सिंह ने कहा, "उसने वह पिस्तौल छिपा दिया था, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। वह उस पिस्तौल को दे सकता है, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था।" (इस पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जताई गई)। तत्पश्चात जबर सिंह आगे बढ़ा, उसके पीछे पुलिस और साक्षी अमरूद के बाग में गए। जबर सिंह बाग में घुसा, पेड़ के तने के पास से मिट्टी हटाई और पिस्तौल बाहर निकाली। पुलिस ने इसके लिए एक कागज़ बनाया। पिस्तौल को एक कपड़े में सील कर दिया गया। उन्होंने कागज़ संख्या 14 क/2 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श क-22 के रूप में किया, साक्षीगण ने पिस्तौल की पहचान प्रदर्श-9 के रूप में किया।

47- **पी.डब्ल्यू.-9 अजब सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि लगभग डेढ़ साल पूर्व उनके गाँव के भजन लाल की हत्या हुई थी। हत्या के लगभग 20-25 दिन बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इकदिल पुलिस स्टेशन और कुछ कांस्टेबल अभियुक्त रामसेवक के साथ गाँव पहुँचे। रामसेवक के एक हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ थीं। वह गौरी के पास बैठा था। पुलिस अधिकारी ने उन दोनों को इशारा किया। उन्होंने कहा, "इस अभियुक्त को कुछ कहना है, इसकी बात सुनो।" रामसेवक ने उत्तर दिया, "पुलिस अधिकारी उसे यहाँ बंदूक की बरामदगी के सिलसिले में लाए हैं। वह उन्हें बताएगा कि बंदूक कहाँ है।" फिर रामसेवक आगे बढ़ा, उसके पीछे पुलिसकर्मी थे। रामसेवक ने अपने घर के पहले कमरे का दरवाजा खोला। वह भूसे से भरा था। रामसेवक ने कुछ भूसा एक तरफ किया और बंदूक की नाल चमकने लगी। फिर उसने बंदूक बाहर निकाली।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बंदूक देखकर उसने कहा कि यह वही बंदूक है, जो उसने निकाली थी। वस्तु प्रदर्श 10 के रूप में बंदूक की बरामदगी दर्ज की गई। इंस्पेक्टर ने बरामद आग्नेयास्त्र के संबंध में एक दस्तावेज लिखा था। उसे देखने और पढ़ने के बाद, साक्षी ने बताया, "यह वह दस्तावेज है। इस पर उनके हस्ताक्षर, गौरी शंकर के अंगूठे का निशान और अभियुक्त रामसेवक के हस्ताक्षर हैं, जिसे प्रदर्श क-23 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।" आग्नेयास्त्र को मौके पर ही सील कर दिया गया था।

48- पी.डब्ल्यू.-10 ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ ने बताया कि वह पिछले 13 वर्षों से आग्नेयास्त्रों का परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में राज्य प्रयोगशाला में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इस वाद में सामग्री परीक्षण के लिए दिनांक 07.09.1987 को कांस्टेबल राम सिंह से प्राप्त हुआ था। तीन सीलबंद बंडल बरामद हुए, एक बंडल से चार खाली खोखे, एक देशी पिस्तौल और एक दोनाली बंदूक संख्या 29918 बरामद हुआ। उन्होंने दागे गए कारतूसों को ई.सी 1, ई.सी 2, ई.सी 3 और ई.सी 4 के रूप में, देशी कट्टे को 1/88 के रूप में, और दोनाली बंदूक को 2/88 के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने कट्टे से दो परीक्षण फायर किए और उन्हें टी.सी. 1 और टी.सी. 2 के रूप में चिह्नित किया। दोनाली बंदूक से छह परीक्षण फायर किए गए और उन्हें टी.सी.-3 से टी.सी.-8 के रूप में चिह्नित किया गया। विवादित कारतूसों ई.सी.-1 से ई.सी -4 का मिलान टी.सी.-3 से टी.सी.-8 के निशानों के साथ किया गया। उन्होंने माइक्रोस्कोप का उपयोग करके इसे वैज्ञानिक रूप से किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे:

(1) कारतूस ई.सी.-1 दोनाली बंदूक संख्या 29918 की बाईं नाल से दागा गया था और कारतूस ई.सी 2 उसी बंदूक की दाहिनी नाल से दागा गया था।

(2) दागे गए कारतूस ई.सी -3 और ई.सी.-4 कट्टा चिह्नित 1/88 से थे।

49- परीक्षण के दौरान, उन्होंने निशानों के फोटोग्राफ, नेगेटिव और प्रिंट तैयार किए। नेगेटिव के आधार पर, उनकी देखरेख में प्रयोगशाला में फोटोग्राफ तैयार किए गए और इन पर उनके हस्ताक्षर थे। नेगेटिव पर वस्तु प्रदर्श-11 और फोटोग्राफ पर वस्तु प्रदर्श-12 से 17 चिह्नित किए गए थे। इस संबंध में, उन्होंने दिनांक 05.03.1988 को अपने निर्देशन में अपनी आख्या टंकित करवाई। इन पर भी उनके हस्ताक्षर थे। कार्बन प्रति, जो मूल के साथ तैयार की गई थी, उस समय उनके सामने थी और उस पर उनके हस्ताक्षर थे। मूल प्रति अभिलेख में प्रदर्श क-24 के रूप में है। बंदूक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



वस्तु प्रदर्श 10 के रूप में और पिस्तौल को वस्तु प्रदर्श 9 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्हें जो खाली कारतूस भेजे गए थे, वे संख्या 7 और 8 हैं, और भौतिक प्रदर्श 18 और 19 के रूप में प्रदर्शित हैं। उनके द्वारा उपयोग किए गए आठ कारतूस प्रदर्श 20 से 27 के रूप में गिने गए हैं।

50- पी.डब्ल्यू.-11 ध्रुव लाल यादव, पुलिस निरीक्षक, ए.डी.एम., नागरिक आपूर्ति, इलाहाबाद ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह जून और जुलाई 1986 में थाना प्रभारी इकदिल के रूप में तैनात थे। यह वाद उनकी अनुपस्थिति में पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और इसकी विवेचना जयशंकर दुबे द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने दिनांक 08.06.1987 को ही विवेचना अपने हाथ में लिया। वे उसी दिन घटना स्थल पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने नत्थूराम के पुत्र मानसिंह, जगन्नाथ और मेघसिंह के बयान लिए। जब उन्होंने एफ.आई.आर. के अन्य साक्षीगण की तलाश किया, तो उन्हें पता चला कि वे शव के साथ चले गए थे। सूचनादाता के निर्देश पर, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और एक नक्शा तैयार किया, जो उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर में है। खसरा दर्ज है। इसे प्रदर्श क-25 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 09.08.1987 को, अभियुक्तों की तलाश करते समय, वह न्यायालय आए और धारा 82-83 द.प्र.सं. के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें धारा 82 द.प्र.सं. के लिए दस्तावेज प्राप्त हुए। दिनांक 10.06.1987 को, जब वे वारंट तामील करने के लिए गाँव महनेपुर गए, तो उन्हें पता चला कि अभियुक्त रामसेवक और जबर सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए हैं। दिनांक 10.06.1987 को, वे न्यायालय आए और धारा 83 द.प्र.सं. के अंतर्गत दस्तावेज प्राप्त किए। उसी दिन, वह गाँव लौटे और दोनों अभियुक्तों के घर की कुर्की किया। उप-निरीक्षक जयशंकर दुबे और उप-निरीक्षक योगेश कुमार रोहित ने उनकी उपस्थिति में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क किया। उप-निरीक्षक जयशंकर दुबे और उप-निरीक्षक योगेश कुमार रोहित उनके साथ तैनात रहे हैं, वे उनके हस्तलेख और हस्ताक्षरों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। कुर्की रिपोर्ट अभियुक्त जबर सिंह, योगेश कुमार और उप-निरीक्षक रोहित के हस्तलेख और हस्ताक्षरों में है, जिसे प्रदर्श क-26 के रूप में प्रदर्शित किया गया। कुर्की रिपोर्ट रामसेवक और उप-निरीक्षक जयशंकर दुबे के हस्तलेख और हस्ताक्षरों में है, जिसे प्रदर्श क-27 के रूप में प्रदर्शित किया गया। दिनांक 12.06.1987 को उन्होंने बीरेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया। दिनांक 19.06.1987 को अभियुक्त रामसेवक और जबर सिंह के बयान न्यायालय की हवालात में लिए गए। उसी दिन, दोनों अभियुक्तों की रिमांड के लिए आवेदन दायर किया गया। दिनांक 01.07.1987 को, न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को तीन दिन की रिमांड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी गई। जिला कारागार से चिकित्सा परीक्षण प्राप्त करने के बाद, उन्हें इकदिल पुलिस स्टेशन लाया गया। दिनांक 02.07.1987 को अभियुक्त रामसेवक ने बंदूक बरामद करने के बारे में बताया, इसलिए उन्हें औरैया ले जाया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वहां नहीं मिल सका। बंदूक के संबंध में, उन्होंने बताया कि यह दूसरे स्थान पर मिलेगा। दिनांक 03.07.1987 को, उन्होंने अभियुक्त जबर सिंह से पूछताछ किया, जिसने स्पष्ट किया कि वह देशी पिस्तौल बरामद करवा सकता है। फिर वे जबर सिंह को उसके द्वारा बताए गए स्थान के पास गाँव महनेपुर में अमरूद के बाग के पास ले गए, अभियुक्त जबर सिंह ने वाहन रोकने के लिए कहा, फिर अभियुक्त जबर सिंह अमरूद के बाग में गया, अमरूद के पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी, पिस्तौल निकाली और उन्हें सौंप दिया। पिस्तौल को वस्तु प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसका फर्द (साक्षी के लेखन और हस्ताक्षर में) प्रदर्श क-22 के रूप में प्रदर्शित है। तत्पश्चात वह अभियुक्त जबर सिंह और पिस्तौल के बंडल के साथ पुलिस स्टेशन वापस आ गए। अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया गया। सामान पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा कर दिया गया, तब तक देशी पिस्तौल का बंडल उनके पास था। दिनांक 04.09.1987 को, उन्होंने रामसेवक से पूछताछ किया, जिसने स्पष्ट किया कि उसने घबराहट के कारण कल गलत बयान दिया था, मोटरसाइकिल वहीं है और उसने बंदूक अपने घर के भूसे वाले कमरे में रखी है, वह उसे बरामद करवा सकता है। फिर अभियुक्त रामसेवक पुलिस कर्मियों के साथ जीप से गाँव महनेपुर आया। जहाँ साक्षी अजब सिंह और गौरी शंकर को उनके सामने बुलाया गया, अभियुक्त रामसेवक ने साक्षीगण के सामने भी उपरोक्त घटना बताई। फिर वह आगे बढ़ा और अपने घर के भूसे वाले कमरे की कुंडी खोली, भूसा हटाया, बंदूक निकाली और उन्हें दे दिया। बंदूक देखकर साक्षीगण ने कहा कि यह वही बंदूक थी, जिसे वस्तु प्रदर्श 10 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बरामद बंदूक को मौके पर ही लपेटा और सील किया गया। साक्षीगण की उपस्थिति में, उन्होंने एक फर्द लिखा, उनके सामने उसे पढ़ा और उस पर उनके हस्ताक्षर लिए। फर्द उनके हस्तलेख और हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श क-23 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। साक्षी अजब सिंह और गौरी शंकर के बयान मौके पर लिए गए।

51- वह अभियुक्त रामसेवक और बंदूकों के बंडल के साथ पुलिस स्टेशन वापस चले गए। अभियुक्त रामसेवक को हवालात में बंद कर दिया गया और वस्तुओं को पुलिस स्टेशन के मालखाने में रखा गया। जब तक उनके पास बंदूकों का बंडल रहा, बंदूकों की मुहर अक्षुण्ण रही। दिनांक 04.07.1987 को जगन्नाथ के पुत्र मानसिंह का बयान लिया गया। विवेचना उसी दिन पूरी हो गई, उन्होंने अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र और लेखन में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसे प्रदर्श क-28 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 03.07.1987 को, उपरोक्त अभियुक्त जबर सिंह के साथ पिस्तौल का सीलबंद बंडल पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था। इस संबंध में, हेड कांस्टेबल रामसेवक ने दिनांक 03.07.1987 को सुबह 10.30 बजे पुलिस स्टेशन की जी.डी. में रपट संख्या 27 पर इसकी प्रविष्टि किया। रामसेवक उनके साथ तैनात था, जिसके कारण वे उसके लेखन और हस्ताक्षर से भली-भांति परिचित हैं। मूल जी.डी. उनके सामने है, इसकी सत्य प्रतिलिपि अभिलेख पर है, जिसे प्रदर्श क-29 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 04.07.1987 को, हेड कांस्टेबल रामसेवक ने बरामद बंदूकों का बंडल इकदिल पुलिस स्टेशन में जमा किया। इस संबंध में, हेड कांस्टेबल रामसेवक ने दिनांक 04.07.1987 को शाम 06.45 बजे इकदिल पुलिस स्टेशन की जी.डी. में रपट संख्या 9 पर प्रविष्टि किया है, जिसे प्रदर्श क-30 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

52- तत्पश्चात धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी अभिकथनों से इनकार किया। अभियुक्त रामसेवक ने बताया कि वह पुलिस सेवा में था। उसके गाँव के मृतक भजन लाल की भूमि विवाद के कारण उससे रंजिश थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। सूचनादाता मानसिंह मृतक का भांजा है। दरोगा के साथ मिलीभगत और साजिश करके, सूचनादाता ने झूठे साक्ष्य गढ़े और उसके विरुद्ध एक झूठा वाद शुरू किया। यह भी स्पष्ट है कि साक्षीगण ने केवल झूठ बोला कि बरामदगी के समय उसे हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाई गई थीं, लेकिन सच्चाई यह है कि बरामदगी के साक्ष्य पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। न तो उसे हथकड़ी पहनाई गई थी और न ही उसे बरामदगी के लिए कहीं ले जाया गया था। चूँकि उसने पुलिस सेवा में काम किया था, वह नियमों से अच्छी तरह वाकिफ था कि बेड़ियाँ पहने हुए व्यक्ति को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, इसीलिए हथकड़ी जारी करने के बारे में पुलिस मालखाने में कोई प्रविष्टि नहीं है। शिकायतकर्ता मानसिंह और साक्षी वीरेंद्र मृतक के रिश्तेदार हैं और उसके पक्ष में हैं तथा स्कूल से संबंधित हैं, इसी कारण उन्होंने झूठी गवाही दिया। वह व्यक्ति, जो मृतक की हत्या का प्रबंध कर सकता था, वह गणेश दत्त है, जिसने मृतक से 40,000/- रुपये उधार लिए थे और वापस नहीं किए थे। जिसके संबंध में भजन लाल द्वारा एक वाद दर्ज कराया गया था, जिसमें गणेश दत्त को गिरफ्तार किया गया था और वह कई दिनों तक कारागार में रहा था।

53- अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद विचारण न्यायालय, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन साक्षी भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। भजन लाल की हत्या कारित करने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध सिद्ध होता है। उन्हें धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषी पाया गया और इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उन्हें उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर किया है।

54- विचारण न्यायालय के निर्णय पर हमारे समक्ष श्री दिलीप कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा चुनौती दिया गया, जिन्हें श्री राजर्षि गुप्ता, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि साक्षीगण की गवाहियाँ भौतिक विरोधाभासों से भरी हैं और विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व शत्रुता के कारण दोषसिद्ध-अपीलार्थियों को वाद में झूठा फँसाया गया था। विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास किया है और इसलिए, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि में खराब है और निरस्त किए जाने योग्य है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास हैं, जिनका विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया है और इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

55- अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी संख्या 1, राम सेवक, वर्तमान में लगभग 75 वर्ष का है, जबकि अपीलार्थी संख्या 2, जबर सिंह, लगभग 68 वर्ष का है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वाद धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। हालांकि, पंचायतनामा, विशेष रूप से पेपर बुक के पृष्ठ 15 के सावधानीपूर्वक परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 01:45 बजे समाप्त हुई, और पंचायतनामा के पहले ही पृष्ठ पर, अपराध धारा 302 भा.द.सं. और धारा 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दिखाए गए हैं। इसी तरह, पंचायतनामा के पृष्ठ संख्या 2 पर भी अपराधों का उल्लेख धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 27 आयुध अधिनियम के रूप में किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि उस समय से पूर्व कोई अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में आ चुकी थी, जिसे अभियोजन द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. को बाद में 'एंटी-टाइम' दस्तावेज के रूप में अस्तित्व में लाया गया है ताकि अपीलार्थियों को झूठे और गलत अभिकथनों पर फँसाया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



56- अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. एंटी-टाइम्ड है। अपने तर्क के समर्थन में, पंचायतनामा में उल्लिखित मृत्यु के समय पर भरोसा किया गया है। शुरू में, मृत्यु का समय सुबह 8:00 बजे दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 9:00 बजे के रूप में ओवरराइट किया गया था। यह और भी उल्लेखनीय है कि पुलिस फॉर्म संख्या 13, जो पंचायतनामा के बाद तैयार किया गया था, उसमें मृत्यु का समय 08.06.1987 को सुबह 9:00 बजे उल्लेखित है। सामान्य विवेक के अनुसार, जब दो घटनाएँ क्रम में होती हैं, तो बाद वाली घटना अनिवार्य रूप से पहले वाली घटना के बाद होनी चाहिए; यह अतार्किक है कि कोई पूर्ववर्ती घटना अपने बाद के परिणाम पर आधारित हो। यह सिद्धांत विवेचना की स्थापित प्रक्रिया से प्रवाहित होता है। धारा 174 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही अप्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए होती है। सामान्य क्रम में, पंचायतनामा पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद फॉर्म संख्या 13 सहित अन्य पुलिस कागजात तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए मर्चुरी भेजा जाता है। इस प्रकार, पंचायतनामा तैयार करना अनिवार्य रूप से बाद के दस्तावेजों को तैयार करने से पहले होता है।

57- पी.डब्ल्यू.-6, वह अधिकारी जिसने पंचायतनामा तैयार किया था, ने स्पष्ट रूप से मृत्यु का समय सुबह 9:00 बजे दर्ज करने से इनकार किया है। उसने लगातार यह बनाए रखा है कि उसने शुरू में मृत्यु का समय सुबह 8:00 बजे उल्लेख किया था और प्रविष्टि को बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुबह 9:00 बजे के रूप में ओवरराइट किया गया था। उसने आगे गवाही दिया कि पुलिस कागजात, यानी चालान-नाश में, मृत्यु का समय गलती से उप-निरीक्षक चंद्रशेखर द्वारा सुबह 9:00 बजे उल्लेख किया गया था। हालांकि, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्थापित हो सके कि वास्तव में पंचायतनामा में सुबह 08:00 बजे के स्थान पर सुबह 09:00 बजे की प्रविष्टि किसने ओवरराइट किया। इन परिस्थितियों में, यदि दोनों प्रविष्टियों के बीच कोई विसंगति थी और अभियोजन पक्ष उसे सुधारना चाहता था, तो सुधार सामान्य रूप से चालान-नाश में किया जाता, न कि पंचायतनामा में, जो पहले से ही तैयार किया जा चुका था। इसलिए, जो निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है, वह यह है कि बचाव पक्ष द्वारा चालान-नाश में दिखने वाली सुबह 9:00 बजे की प्रविष्टि से लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई थी, और किसी स्तर पर पंचायतनामा के साथ छेड़छाड़ की गई, ताकि उसे उक्त प्रविष्टि के अनुरूप लाया जा सके। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी पक्ष सामान्य रूप से अपने हितों के विरुद्ध कार्य नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा। परिणामस्वरूप, पंचायतनामा में ओवरराइटिंग को अभियोजन पक्ष पर आरोपित नहीं किया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बचाव पक्ष को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए प्रबंधित किया गया है।

58- यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आपराधिक अपील संख्या 3343 वर्ष 2025 नारायण यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के वाद में पारित अपने निर्णय दिनांक 05.08.2025 के प्रस्तर 34 में अवलोकन किया है कि पंचायतनामा एक सारवान साक्ष्य है। तत्काल संदर्भ के लिए उसे यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

"उपरोक्त संदर्भ में, हम इस न्यायालय के मुरली बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 9 एससीसी 417 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि पंचनामा की सामग्री सारवान साक्ष्य नहीं है। यह इस प्रकार है;

34- पंचनामा की सामग्री सारवान साक्ष्य नहीं है। उस मुद्दे पर विधि स्थापित है। सारवान साक्ष्य वह है, जो पंचों या संबंधित व्यक्ति द्वारा साक्षी के कटघरे में कहा गया है(....)"

59- इसके अलावा, घटना 08.06.1987 को सुबह 8:00 बजे होना बताया गया है, और अभियोजन साक्षीगण की प्रति-परीक्षा में इस संस्करण के विपरीत कुछ भी नहीं निकाला जा सका, जिससे उनके संबंधित बयानों को संदेहात्मक किया जा सके। इस स्थिति पर संदेह करने के लिए न्यायालय के संज्ञान में कोई भौतिक विसंगति नहीं लाई गई है। पुलिस कागज़ात में उप-निरीक्षक चंद्रशेखर द्वारा की गई एक मात्र मामूली लिपिकीय त्रुटि, अपने आप में चक्षुदर्शी गवाही को समाप्त या कमजोर नहीं कर सकती है, खासकर जब उनके साक्ष्य में कोई अन्य विरोधाभास या कमजोरियाँ नहीं पाई जाती हैं। किसी भी सारवान विसंगति के अभाव में, इस मोर्चे पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया निवेदन पूरी तरह से गुण-दोष से रहित है।

60- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि चक्षुदर्शी गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास हैं। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू.- 3 वीरेंद्र सिंह के बयान का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे और मृतक अपनी साइकिलों पर भागने का प्रयास कर रहे थे, तब अभियुक्त राम सेवक द्वारा कारित आग्नेयास्त्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की चोट लगने के बाद भजन लाल गिर गए। डर के मारे, पी.डब्ल्यू.-3 साइकिल छोड़कर भाग गया और सड़क के दक्षिणी किनारे पर झाड़ियों के पीछे एक गड्ढे में छिप गया। पी.डब्ल्यू.-3 के अनुसार, अभियुक्त जबर सिंह ने पिस्तौल से गोली चलाई और उसके बाद राम सेवक भजन लाल के पास गया और उन पर अतिरिक्त गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप भजन लाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद, अभियुक्तों ने अपनी मोटरसाइकिल चालू किया और इटावा की ओर भाग गए, जबकि पी.डब्ल्यू.-3 और अन्य शोर मचाते हुए गाँव की ओर दौड़े। उन्होंने आगे बताया कि उनके और घटना स्थल के बीच की दूरी लगभग पंद्रह कदम थी। पी.डब्ल्यू.-3 ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह भी बताया कि उन्होंने पहली बार न्यायालय के सामने, यह खुलासा किया कि अभियुक्त मृतक के पास गए थे और उन पर गोली चलाई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान में, उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतरे, मृतक की ओर चले और फिर गोली चलाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि विवेचना अधिकारी ने उनसे विशेष रूप से दो अलग-अलग स्थानों से गोली चलाने के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए उन्होंने उस समय यह बात नहीं बताई थी।

61- चिकित्सीय और चक्षुदर्शी साक्ष्य को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, ऐसी कोई विसंगति दिखाई नहीं देती, जो अभियोजन के वाद को कमजोर करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शरीर में कालापन, टैटूइंग, झुलसन और कारतूस के वैड्स के फंसे होने का संकेत देती है, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि आग्नेयास्त्र की चोटें करीब से कारित की गई थीं। ये चिकित्सीय निष्कर्ष शव-परीक्षण सर्जन की गवाही द्वारा विधिवत समर्थित हैं, जिन्होंने राय दिया कि गोलियां बहुत करीब से चलाई गई थीं। चक्षुदर्शी साक्षीगण ने लगातार बताया है कि अभियुक्त गोली चलाने से पहले मृतक के करीब आए थे। केवल इसलिए कि साक्षीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान के दौरान इस पहलू को विस्तार से बताया, उनकी गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती या यह किसी भौतिक सुधार की कोटि में नहीं आता। यह सुस्थापित है कि मामूली विस्तार, जो अभियोजन के प्रकरण के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, विरोधाभास नहीं माने जा सकते। यह आवश्यक संस्करण कि अभियुक्त मृतक के करीब पहुँचे और करीब से गोली चलाई, अक्षुण्ण बना हुआ है और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से पुष्ट है। पूर्व शत्रुता की उपस्थिति, अपने आप में अन्यथा ठोस और विश्वसनीय चक्षुदर्शी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, विशेष रूप से जब वही वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। इसके विपरीत, चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सत्यता का आश्वासन देते हैं, और बचाव पक्ष द्वारा बताई गई कथित विसंगति महत्वहीन है और अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनीयता में कोई संध नहीं लगाती है।

62- जब भी कोई घटना होती है, उसे अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जाता है, और ऐसे कृत्य सामान्यतः जानबूझकर चक्षुदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति में नहीं होते हैं। एक घायल या चक्षुदर्शी साक्षी, जब अचानक और अप्रत्याशित घटना का सामना करता है, तो वह घटना के प्रत्येक सूक्ष्म विवरण को देखने या याद रखने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि साक्षी घटना के दौरान सटीक समय, सटीक दूरी या प्रत्येक व्यक्तिगत कृत्य को सटीकता से नोट करेगा। उनकी गवाही इसलिए प्रकृति में अनुमानित होना तय है। यदि कोई साक्षी घटना के प्रत्येक पहलू पर पूर्ण सटीकता के साथ गवाही देता है, तो ऐसी गवाही संदेह पैदा करेगी और साक्षी को रटा-रटाया या हितबद्ध साक्षी कहा जा सकता है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक स्वाभाविक साक्षी से गणितीय सटीकता के साथ घटना का वर्णन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वर्तमान वाद में, मुझे पी.डब्ल्यू.-3 के बयान में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं मिला है। भले ही यह मान लिया जाए कि कुछ विसंगतियां मौजूद हैं, वे प्रकृति में मामूली हैं और अभियोजन के प्रकरण की जड़ तक नहीं जाती हैं। इसके अलावा, अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों को पी.डब्ल्यू.-3 की गवाही में ऐसी मामूली विसंगतियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, मैं इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क से सहमत नहीं हूँ।

63- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह बिंदु उठाया कि वर्तमान मामले में विवेचना अधिकारी ने दोषपूर्ण विवेचना किया और तर्क दिया कि विवेचना अधिकारियों के माध्यम से सामने आए साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परिशीलन से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वर्तमान वाद में, केस डायरियों में तिथि को फाइकर साक्ष्यों के साथ विभिन्न हेरफेर और छेड़छाड़ किया गया है, जिसे इन अभियोजन साक्षीगण ने स्वीकार किया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवेचना जानबूझकर शिकायतकर्ता पक्ष के साथ मिलीभगत करके इस एकमात्र दृष्टिकोण से की गई है कि अभियुक्तों को झूठा फँसाया जा सके और उनके विरुद्ध साक्ष्य गढ़े जा सकें, और यह अभिलेख पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि विवेचना पूरी तरह से दूषित और निष्पक्ष नहीं थी, और जानबूझकर अभियुक्तों के अहित के लिए की गई थी, और ऐसे में वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोषपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्तों के पक्ष में होगा। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *लखविंदर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2002) 10 एससीसी 295* के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषपूर्ण विवेचना अभियोजन के प्रकरण पर गंभीर संदेह पैदा करेगी। उक्त निर्णय के प्रस्तर 30 से 39 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"(30) ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य, इसलिए, हमें यह मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि विवेचना निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से संचालित नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक हेरफेर किया गया है, जिसे परमजीत सिंह की चोटों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से डाला गया है। पी.डब्ल्यू. 18 द्वारा 25 दिसंबर, 1996 की सुबह की गई विवेचना अत्यंत संदिग्ध है और ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पी.डब्ल्यू. 11 जागीर सिंह, जो उस तिथि के सभी जब्ती जापनों का साक्षी है, न ही दर्शन सिंह, पी.डब्ल्यू. 14 जिसकी सहायता से सीमांत टिप्पणियों के साथ कच्चा नक्शा-नजरी तैयार किया गया था और जिसने पंचायतनामा को अनुप्रमाणित किया था, घटना स्थल पर उपस्थित थे। [जाहिर है कि ये जब्ती जापन, नक्शा-नजरी, पंचायतनामा आदि घटना स्थल पर तैयार नहीं किए गए हैं और हो सकता है कि वे पुलिस स्टेशन में तैयार किए गए हों, जैसा कि बचाव पक्ष ने अभिकथित किया है। एस.एल.आर. और ए.के.-47 राइफल के चले हुए कारतूसों की बरामदगी, इसलिए, संदिग्ध हो जाती है और हम पी.डब्ल्यू. 18 द्वारा 25 दिसंबर, 1996 को की गई बरामदगी और जब्ती पर कोई विश्वास करना सुरक्षित नहीं समझते हैं।

(31) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोजन अपीलार्थी परमजीत सिंह को लगी चोटों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकरणों में अभियोजन अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य हो। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने, वास्तव में, इस तथ्य पर संदेह किया है कि परमजीत सिंह को ऐसी कोई चोट लगी थी। हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य द्वारा न्यायसंगत नहीं है।

(32) जैसा कि पहले देखा गया है, विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू. 18 को कम से कम 25 दिसंबर, 1996 को पता चल गया था कि परमजीत सिंह एक अस्पताल में भर्ती था और उसे 24 दिसंबर, 1996 को रात 11.45 बजे भर्ती किया गया था। केवल वही बेहतर जानते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होंगे कि वह उस अस्पताल में क्यों नहीं गए, जहाँ परमजीत सिंह भर्ती था और वह दावा करता है कि उसने उप-निरीक्षक जागीर सिंह को अस्पताल जाने के लिए नियुक्त किया था। हम पाते हैं कि उप-निरीक्षक जागीर सिंह, पी.डब्ल्यू. 11 ने अपनी गवाही के दौरान विवेचना अधिकारी के निर्देश पर परमजीत सिंह को देखने जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके अलावा हमने इस निर्णय में पहले अभिनिर्धारित किया है कि विवेचना अधिकारी को पहले से ही इस तथ्य की जानकारी थी कि परमजीत सिंह गंभीर रूप से घायल था और यही कारण था कि उसने उसकी चोटों को स्पष्ट करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतिम वाक्य जोड़ा।

(33) पी.एच.सी. सुधार के चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलविंदर सिंह, डी.डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि 24 दिसंबर, 1996 को रात लगभग 11.30 बजे परमजीत सिंह को उसके शरीर पर चोटों के साथ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। प्रवेश रिपोर्ट दिखाती है कि उसके शरीर पर 19 चोटें थीं, जिनमें ज्यादातर नीलगू निशान और विदारण थे। उसने कुछ चोटों को निगरानी में रखा जबकि उसने शेष चोटों को साधारण प्रकृति का पाया, जो सभी कुंद हथियारों से लगी थीं। चोटों की अवधि 6 घंटे के भीतर थी। मेडिको लीगल रिपोर्ट की एक छायाप्रति प्रदर्श पीडीडब्ल्यू-1.ए के रूप में चिह्नित की गई थी। उसने आगे कहा कि उसने परमजीत सिंह के शरीर पर चोटों का एक्स-रे परीक्षण किया था। एक्स-रे रिपोर्ट के बाद और स्क्रियाग्राम देखने के बाद, उसने चोट संख्या 7 और 17 को गंभीर घोषित किया। एक्स-रे में स्कैपुला के शरीर के फ्रैक्चर के अलावा बाईं ओर मैडिबल का फ्रैक्चर भी दिखाई दिया। उसने थाना सुधार के एस.एच.ओ. को सूचना भेजी। स्क्रियाग्राम भी बेड टिकट के साथ पुलिस स्टेशन भेजे गए थे। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने कहा कि उसने एक्स-रे रजिस्टर और स्क्रियाग्राम नहीं देखे थे। उसने दावा किया कि चोटें स्वयं कारित नहीं हो सकती थीं।

(34) सिविल अस्पताल, लुधियाना के सर्जिकल विशेषज्ञ डॉ. सुभाष बट्टा, डी.डब्ल्यू. 3 ने गवाही दिया कि 27 दिसंबर, 1996 को परमजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्होंने 30 दिसंबर, 1996 को रोगी का परीक्षण किया था और उसे आगे के प्रबंधन के लिए दंत चिकित्सक के पास भेजा था। इन दो साक्षीगण में से किसी को भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि वास्तव में परमजीत सिंह को चोटें नहीं लगी थीं, जैसा कि अभिकथित



है। इसके अलावा, यह अभियोजन का प्रकरण भी नहीं है कि परमजीत सिंह उसी घटना के दौरान घायल नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने डॉ. बलविंदर सिंह, डी.डब्ल्यू. 1 की गवाही को उनकी प्रति-परीक्षा में दिए गए एकमात्र बयान के आधार पर खारिज कर दिया है कि उन्होंने एक्स-रे रजिस्टर और स्क्रियाग्राम नहीं देखे थे, पूरी तरह से उनकी मुख्य परीक्षा में किए गए स्पष्ट दावे की अनदेखी करते हुए कि उन्होंने एक्स-रे परीक्षण किया था और एक्स-रे रिपोर्ट और स्क्रियाग्राम देखने के बाद ही चोटों को गंभीर घोषित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काफी संभव है कि साक्षी ने एक्स-रे रजिस्टर और स्क्रियाग्राम न देखने के बारे में कुछ भ्रम में कहा हो। समग्र रूप से साक्ष्य को पढ़ने पर, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि डी.डब्ल्यू. 1 ने एक्स-रे करवाया था और केवल एक्स-रे रिपोर्ट और स्क्रियाग्राम देखने के बाद ही उन्होंने चोटों को गंभीर घोषित किया था।

(35) अगला प्रश्न यह है कि, इस प्रकृति के वाद में, क्या अभियोजन परमजीत सिंह के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य था। हमारे विचार में, इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन का यह कर्तव्य था कि वह परमजीत सिंह को आई चोटों को स्पष्ट करे जिनकी संख्या 19 थी और उनमें से दो फ्रैक्चर में परिणामित हुई थीं। ऐसा नहीं है कि अभियोजन को इन चोटों के बारे में पता नहीं था और उन्हें बचाव पक्ष के प्रकरण का समर्थन करने के लिए बाद में गढ़ा गया था। तथ्य बताते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने और विशेष रिपोर्ट भेजे जाने से पहले ही, विवेचना अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी थी कि परमजीत सिंह को चोटें आई थीं और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि परमजीत सिंह की चोटों को स्पष्ट करने में अभियोजन की विफलता इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियोजन ने वास्तविक उत्पत्ति और घटना के तरीके का खुलासा नहीं किया है।

(36) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना की तिथि यानी 24 दिसंबर, 1996 को सूचनादाता पी.डब्ल्यू. 14 हमले में भाग लेने वाले किसी भी बंदूकधारी का नाम नहीं जानता था। इसी प्रकार, पी.डब्ल्यू. 15 भी रंजीत सिंह और उसके पिता के बंदूकधारियों के नाम नहीं जानता था। स्वीकार्य रूप से पी.डब्ल्यू. 14 को उनके नाम 3-4 दिन बाद पता चले। हमने पहले गौर किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि वे किसी भी बंदूकधारी का नाम



नहीं जानते थे, परमजीत सिंह का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ नक्शा-नजरी की सीमांत टिप्पणियों में मिलता है, दोनों पी.डब्ल्यू. 14 के कहने पर तैयार किए गए थे। इसके अलावा, चूंकि हमलावर इस साक्षी को नाम से ज्ञात नहीं थे, इसलिए कोई कारण नहीं दिखता कि पहचान परेड क्यों नहीं आयोजित की गई। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हमलावरों की पहचान करने के लिए कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और यह भी अभियोजन के प्रकरण में एक गंभीर कमी है।

(37) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्श पीएन पर भरोसा करना, जिसमें जगदेव सिंह तलवंडी और रंजीत सिंह के बंदूकधारियों को सौंपे गए आग्नेयास्त्रों की सूची है, गलत है क्योंकि प्रदर्श पीएन हथियारों के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं देता है ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन सा हथियार किस विशेष बंदूकधारी को सौंपा गया था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन के किसी काम की नहीं है, भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि कुछ चले हुए कारतूस कुछ हथियारों से दागे गए थे। यह अभियोजन के प्रकरण को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि वह विशेष हथियार किसे सौंपा गया था। हम इस प्रश्न में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें घटना स्थल से चले हुए कारतूसों की बरामदगी और जब्ती पर संदेह है। हमने वाद की विवेचना में गंभीर खामियाँ देखी हैं और हमने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि विवेचना निष्पक्ष और तटस्थ नहीं थी। इस दृष्टिकोण को देखते हुए हम इस संबंध में अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत निवेदन का परीक्षण नहीं करना चाहते हैं।

(38) हालांकि, हम इस तथ्य पर गौर कर सकते हैं कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार भी, प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए एक गोली के विकृत जैकेट 9 मिमी गोली का हिस्सा प्रतीत होते थे। यदि यह वह धात्विक टुकड़ा था जो चमकौर सिंह की चोट में धंसा हुआ पाया गया था, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन के इस वाद का समर्थन नहीं करती है कि उसे लगी चोट ए.के.-47 राइफल से दागी गई गोली का परिणाम थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि ए.के.-47 राइफल 7.62 मिमी बोर की थी न कि 9 मिमी की थी। यदि ऐसा है तो पूरा अभियोजन पक्ष का प्रकरण कि जीत सिंह उर्फ परमी ने परमजीत सिंह की ए.के.-47 राइफल से गोली



चलाई, धराशायी हो जाता है। इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चलता है कि परीक्षण के लिए भेजी गई वस्तुओं में एक कार्बाइन का चला हुआ कारतूस भी था। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि घटना स्थल से कार्बाइन का चला हुआ कारतूस कैसे बरामद और जब्त किया गया, क्योंकि यह किसी का वाद नहीं है कि घटना में कार्बाइन का उपयोग किया गया था।

(39) हमारे इन निष्कर्षों के आलोक में कि चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 14 और पी.डब्ल्यू. 15 पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हैं और तीसरा साक्षी पी.डब्ल्यू. 17 पूरी तरह अविश्वसनीय है, कि वाद की विवेचना दूषित है और निष्पक्ष तथा तटस्थ नहीं है, कि की गई बरामदगी और जब्ती संदिग्ध है, कि अभियोजन परमजीत सिंह की चोटों को स्पष्ट करने में विफल रहा है, जिसे वह वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट करने के लिए बाध्य था, और अंत में कि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, भले ही सूचनादाता और चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 14 घटना की तिथि पर हमलावरों के नाम नहीं जानते थे, साथ ही इस तथ्य के साथ कि उच्च न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षीगण पर अविश्वास करते हुए रंजीत सिंह की अन्यत्र उपस्थिति की दलील को स्वीकार कर लिया और गुरमीत सिंह तथा कुलवंत सिंह की भागीदारी के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षीगण पर विश्वास नहीं किया, यह अपील सफल होनी चाहिए। तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं। यदि अपीलार्थियों की किसी अन्य वाद में आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।"

64- न्यायालय को अब यह परीक्षण करना है कि क्या वर्तमान वाद में विवेचना दोषपूर्ण तरीके से संचालित की गई थी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले पंचायतनामा में ओवरराइटिंग पर भरोसा किया, जहाँ मृत्यु का समय शुरू में सुबह 8:00 बजे दर्ज किया गया था और बाद में सुबह 9:00 बजे के रूप में ओवरराइट किया गया था। हालांकि, इस पहलू को पहले ही संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया जा चुका है। इसलिए, इस बिंदु पर आगे किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, और केवल ऐसी ओवरराइटिंग के आधार पर विवेचना को दोषपूर्ण या दूषित नहीं माना जा सकता है।

65- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले डॉक्टर पी.डब्ल्यू.- 4 के बयान पर भरोसा किया, जिसमें उन्होंने यह राय व्यक्त किया था कि चोट संख्या 11 को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



छोड़कर, अन्य सभी चोटें आग्नेयास्त्र के प्रवेश के थे। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूँ कि डॉक्टर के इस इकलौते बयान के आधार पर पूरी विवेचना को दोषपूर्ण कैसे करार दिया जा सकता है। चिकित्सीय राय, भले ही उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसी वह है, अपने आप में विवेचना में किसी गंभीर चूक या जानबूझकर किए गए दोष को प्रदर्शित नहीं करती है, और न ही यह समग्र रूप से अभियोजन के प्रकरण को बदनाम करती है। **सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 2 एससीसी 174** के प्रस्तर 13 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"13- सामान्यतः, चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टिकारक होता है। यह सिद्ध करता है कि चोटें अभिकथित तरीके से कारित की जा सकती थीं और इससे अधिक कुछ नहीं होता है। चिकित्सीय साक्ष्य का उपयोग जो बचाव पक्ष कर सकता है, वह यह सिद्ध करने के लिए है कि चोटें संभवतः अभिकथित तरीके से कारित नहीं की जा सकती थीं और इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षीगण पर अविश्वास किया जा सके। जब तक कि चिकित्सीय साक्ष्य अपनी बारी में इतना आगे न बढ़ जाए कि वह चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अभिकथित तरीके से चोटें लगने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दे, तब तक चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही को चिकित्सीय साक्ष्य के साथ अभिकथित विसंगति के आधार पर नहीं फेंका जा सकता है।"

66- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद, इस न्यायालय का ध्यान विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू.-11 के बयान की ओर आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जय शंकर दुबे से संबंधित पहला पर्चा उनके द्वारा केस डायरी में दर्ज किया गया था, लेकिन प्रविष्टि की तिथि से संबंधित हिस्सा फटा हुआ पाया गया था, जबकि माहे और वर्ष अक्षुण्ण रहे। उन्होंने आगे कहा कि यह सुझाव देना गलत था कि उनकी सलाह पर तिथि फाड़ी गई थी या केस डायरी में कोई सुधार या मनगढ़ंत काम उनके द्वारा छिपाया गया था। विवेचना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केस डायरी के एक हिस्से का फटना केवल अभिलेख के लापरवाह रखरखाव का परिणाम था और कुछ नहीं। यदि विवेचना अधिकारी का इरादा किसी हेरफेर या मनगढ़ंत काम को छिपाने का होता, तो वह तिथि के संबंधित हिस्से को खाली या आंशिक रूप से अक्षुण्ण नहीं छोड़ता। इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह स्थापित हो सके कि केस डायरी के संबंधित हिस्से को जानबूझकर विवेचना अधिकारी द्वारा किसी गलत मंशा से फाड़ा गया या प्रबंधित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। दुर्भावनापूर्ण आचरण या भौतिक तथ्यों को जानबूझकर दबाने का सुझाव देने वाले किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क तुच्छ और सारहीन प्रतीत होता है, और किसी भी तरह से विवेचना को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि केस डायरी सारवान साक्ष्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका उपयोग केवल साक्षीगण की गवाही की पुष्टि करने या उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं, और केस डायरी के एक पृष्ठ के एक छोटे से कोने का फटना चक्षुदर्शी साक्ष्य में किसी गंभीर विरोधाभास की कोटि में नहीं आता है।

67- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान वाद में अपीलार्थियों की निशानदेही पर की गई हथियार की बरामदगी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है। इसके अलावा विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब अन्य साक्ष्य अपीलार्थियों के दोष की ओर इशारा नहीं करते हैं, तो केवल बरामदगी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण है, जब विवेचना को पूरी तरह से दूषित पाया गया है और इस तरह से किया गया है, जिससे अभियुक्तों के अहित के लिए सूचनादाता के साथ मिलीभगत पूरी तरह से स्पष्ट हो। और वर्तमान वाद में विधि के स्थापित सिद्धांत और दोषारोपकारी वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित नियमों का पालन किए बिना, उपरोक्त बरामदगी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो अभियुक्तों की निशानदेही पर की गई बताई गई हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राधे श्याम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, एससी, 2023** के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दिया है कि केवल अभिकथित बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रस्तर 9 को यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

"इसलिए, हम इस सुविचारित राय के हैं कि मृतक के नामजद अभियुक्त हमलावरों की पहचान न्यायालय में उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हुई है। फिर जो बचता है वह अभियुक्त की निशानदेही पर हमले के हथियारों की अभिकथित बरामदगी का साक्ष्य है। दोषसिद्धि को केवल अभिकथित बरामदगी के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

68- वर्तमान वाद में नामजद अभियुक्तों की पहचान विवाद में नहीं है। पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 सहित चक्षुदर्शी साक्षी, साथ ही अभियुक्त राम सेवक और जबर सिंह, एक ही गाँव के निवासी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं और एक-दूसरे से भली-भांति परिचित थे। ऐसी परिस्थितियों में, गलत पहचान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

69- परिणामस्वरूप, **राधे श्याम (उपरोक्त)** में निर्धारित विधि, जो भौतिक रूप से भिन्न तथ्यात्मक संदर्भ में दिया गया था, वर्तमान वाद पर लागू नहीं होता है। तथ्यों में स्पष्ट भिन्नता के कारण, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय पर किया गया भरोसा गलत है, और इस संबंध में उठाया गया तर्क पूरी तरह से अस्थिर है।

70- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान विवेचना अधिकारी द्वारा क्रमशः 90 और 28 दिनों के अस्पष्टीकृत/अत्यधिक विलंब के बाद लिए गए हैं, जो पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के साक्ष्यों से स्पष्ट है। यह अस्पष्टीकृत/काफी विलंब इन साक्ष्यों की उपस्थिति और उनके बयानों की सत्यता के संबंध में संदेह की एक गंभीर छाया पैदा करता है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (**शाहिद खान बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 4 एससीसी 96**) के वाद में स्थापित किया गया है, जिसमें 3 दिनों के अस्पष्टीकृत विलंब को घातक पाया गया था। और ऐसे में वर्तमान वाद में, यह देखते हुए कि साक्षी अत्यधिक हितबद्ध और रंजिश रखने वाले हैं, उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है और उनके बयानों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **हरबीर सिंह बनाम शीशपाल व अन्य, (2016) 16 एससीसी 418** के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोजन साक्षीगण के बयानों को दर्ज करने में देरी अभियोजन के वाद पर संदेह पैदा करेगी। उसी के प्रासंगिक प्रस्तर अर्थात् प्रस्तर संख्या 15, 16 और 17 नीचे उद्धृत हैं:-

"15- हमने पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम उच्च न्यायालय के इन अवलोकनों से सहमत होने के इच्छुक हैं कि पी.डब्ल्यू. 3 और पी.डब्ल्यू. 9 अभियुक्तों के बीच कथित साजिश के साक्षी नहीं थे, क्योंकि न केवल इन दो अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिए गए बातचीत के विवरण अलग थे, बल्कि संबंधित समय पर अभिकथित स्थान पर उनकी उपस्थिति पी.डब्ल्यू. 9 की शारीरिक स्थिति और सीकर रोड से शीशपाल

की ढाणी की दूरी के कारण अप्राकृतिक प्रतीत होती है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि पी.डब्ल्यू. 3 के बयानों में सुधार हुए हैं। धारा 162 द.प्र.सं. का स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने की चूक, विरोधाभास की कोटि में आ सकती है, यदि वह महत्वपूर्ण और अन्यथा उस संदर्भ में प्रासंगिक प्रतीत होती है, जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास की कोटि में आती है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। इस प्रकार, जबकि यह सच है कि प्रत्येक सुधार अभियोजन के वाद के लिए घातक नहीं होता है, लेकिन जिन वादों में सुधार किसी साक्षी की सच्चाई या विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है, वहां बचाव पक्ष उसका लाभ उठा सकता है। [देखें अशोक विष्णु दावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 9 एससीसी 431; राधा कुमार बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), (2005) 10 एससीसी 216; सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता (डॉ.) व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 13 एससीसी 657 और बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 12 एससीसी 473]। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इन चूकों को धारा 162 द.प्र.सं. के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आने वाले विरोधाभासों की कोटि में आने वाली भौतिक चूक माना था। इसके अलावा, साक्ष्य में यह भी आया है कि घटना की तिथि से पी.डब्ल्यू. 3 और पी.डब्ल्यू. 9 के बयान दर्ज करने में 15-16 दिनों का विलंब हुआ था और उसे इस तथ्य का संदर्भ देकर अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि परिवार को 12 से 13 दिनों तक शोक सभाओं में बैठना पड़ा था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस स्पष्टीकरण से प्रभावित नहीं हैं और महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय इस संबंध में संदेह करने में सही था।

16- जहाँ तक मृतक की हत्या की घटना का संबंध है, अभियोजन ने इसके लिए छह चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत किए हैं। इन साक्षीगण की गवाही पर भरोसे के विरुद्ध उठाया गया तर्क पुलिस द्वारा धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके बयानों को दर्ज करने में देरी से संबंधित है। वर्तमान वाद में, घटना की तिथि 21.12.1993 थी, लेकिन पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 5 के बयान घटना के दो दिन बाद यानी 23.12.1993 को दर्ज किए गए थे। पी.डब्ल्यू. 6 का साक्ष्य 26.12.1993 को दर्ज किया गया था, जबकि पी.डब्ल्यू. 11 का साक्ष्य घटना के 10 दिन बाद यानी 31.12.1993 को दर्ज किया गया था। इसके अलावा, यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्यों के बयान दर्ज करने में देरी अनिवार्य रूप से उनकी



गवाही को संदेहास्पद नहीं करती है। न्यायालय ऐसी गवाही पर भरोसा कर सकता है, यदि वे ठोस और विश्वसनीय हों और देरी को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार स्पष्ट किया गया हो। [देखें गणेशलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1992) 3 एससीसी 106; मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 7 एससीसी 334; पृथ्वी (नाबालिग) बनाम माम राज व अन्य, (2004) 13 एससीसी 279 और सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2010) 6 एससीसी 1]।

17- हालांकि, गणेश भवन पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978) 4 एससीसी 371, इस प्रस्ताव के लिए एक अधिकार है कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोजन साक्षीगण के बयानों को दर्ज करने में देरी, भले ही वे साक्षी परीक्षण के लिए उपलब्ध थे या हो सकते थे जब विवेचना अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया था या उसके तुरंत बाद, अभियोजन के वाद पर संदेह पैदा करेगी। [देखें बालकृष्ण स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य, (1971) 3 एससीसी 192; मारुति रामा नायक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 10 एससीसी 670 और जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2005) 3 एससीसी 68]। इस प्रकार, हम देरी के बिंदु और अभियोजन के वाद पर इसके संबंधित प्रभाव पर उच्च न्यायालय के अवलोकनों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।"

71- उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **शाहिद खान बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 4 एससीसी 96** के वाद में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करने में देरी उनके घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। उसी के प्रासंगिक प्रस्तर अर्थात प्रस्तर संख्या 6 और 11 नीचे उद्धृत हैं:-

"6- अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया कि पी.डब्ल्यू. 25 मिर्जा माजिद बेग और उनके ड्राइवर पी.डब्ल्यू. 24 मोहम्मद शाकिर, जिन्होंने घटना देखने का दावा किया है, संयोगवश साक्षी हैं, जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है और मृतक के रिश्तेदारों को सूचित न करने और पुलिस शिकायत दर्ज न कराने का उनका आचरण काफी अप्राकृतिक है और उनके बयान घटना के 3 दिन बाद दर्ज किए गए थे, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अभियोजन का प्रकरण काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार और निर्मित किया गया था और यह संदिग्ध है। उनके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि पी.डब्ल्यू. 25 मिर्जा माजिद बेग ने अपीलार्थियों को झूठा फँसाया क्योंकि उनके दामाद खालिद पर कल्लू की हत्या का मुकदमा चलाया गया था और उक्त वाद में वर्तमान अपीलार्थी-बंटी ने उनके विरुद्ध अभियोजन साक्षी के रूप में गवाही दिया था, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई थी। उनका आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अवर न्यायालयों ने गलत तरीके से चक्षुदर्शी साक्षीगण की अपुष्ट गवाहियों पर विश्वास किया है और अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि में पोषणीय नहीं हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं। अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया।

11- पी.डब्ल्यू. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यू. 24 मोहम्मद शाकिर के बयान घटना के 3 दिन बाद दर्ज किए गए थे। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि 3 दिनों तक उनका परीक्षण क्यों नहीं किया गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि पुलिस को कैसे पता चला कि इन साक्षीगण ने घटना देखी थी। बयान दर्ज करने में देरी उनके घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। यह सुझाव दे सकता है कि विवेचना अधिकारी जानबूझकर समय काट रहा था ताकि वाद को दिए जाने वाले आकार और पेश किए जाने वाले चक्षुदर्शी साक्षीगण के बारे में निर्णय लिया जा सके। इस वाद की परिस्थितियां इस देरी को ऐसा महत्व प्रदान करती हैं। पी.डब्ल्यू. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यू. 24 मोहम्मद शाकिर, उनके अस्पष्टीकृत मौन और पुलिस को दिए गए विलंबित बयान के दृष्टिगत, हमें पूरी तरह से विश्वसनीय साक्षी प्रतीत नहीं होते हैं। किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से भी उनके साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हम केवल अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दण्डादेश को बनाए रखने के लिए उनकी गवाही पर भरोसा करना काफी असुरक्षित पाते हैं। उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हुआ है। हमारी राय में, अपीलार्थियों के विरुद्ध वाद उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है।"

72- उपरोक्त दोनों निर्णयों में निर्धारित संचयी अनुपात यह है कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत साक्षीगण के बयान दर्ज करने में एक अस्पष्टीकृत और अत्यधिक विलंब घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में उनकी उपस्थिति पर गंभीर संदेह पैदा कर सकता है। इस सिद्धांत पर भरोसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू.-1 के बयान का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अपना बयान पढ़ने पर उन्हें पता चला कि दरोगा जी ने उसमें साक्षी मान सिंह का नाम नहीं लिखा था।

73- हालांकि, जैसा कि पहले ही चर्चा किया जा चुका है, पी.डब्ल्यू.-1 का यह बयान यह स्थापित नहीं करता है कि मान सिंह का बयान देरी से दर्ज किया गया था। यह केवल यह इंगित करता है कि पी.डब्ल्यू.-1 ने बाद के चरण में अपने स्वयं के बयान में एक चूक देखी है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मान सिंह का बयान विवेचना अधिकारी द्वारा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। इसलिए, धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करने में देरी से संबंधित सिद्धांत, जैसा कि जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें प्रतिपादित है, वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपने बयान के पृष्ठ 34 पर पी.डब्ल्यू.-1 बताता है कि "जब मैंने अपना बयान पढ़ा तब मालूम पड़ा कि दरोगा जी ने मेरे बयान में मानसिंह गवाह का नाम नहीं लिखा है। घटना के करीब तीन माह के बाद अपना बयान धारा 161 द.प्र.सं. में साक्षी मानसिंह का नाम दरोगा जी ने नहीं लिखा है, तो यह बात दरोगा जी से कही थी।"

74- उन्होंने आगे कथन किया कि घटना के लगभग तीन माह बाद, उन्होंने धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज अपना बयान पढ़ा, जिस पर उन्होंने गौर किया कि दरोगा जी द्वारा उसमें साक्षी मान सिंह का नाम उल्लेखित नहीं किया गया था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को ऐसा भ्रम प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने स्वयं तीन माह की देरी के बाद अपना बयान दर्ज कराया था। वास्तव में, साक्षी ने जो बताया, वह यह था कि उसने तीन माह बाद अपना बयान पढ़ा, न कि यह कि उसका बयान इतनी देरी के बाद दर्ज किया गया था।

75- यह स्थिति उनके बाद के बयान से और स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि दरोगा जी ने उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने साक्षी मान सिंह का बयान पहले ही दर्ज कर लिया है। परिणामस्वरूप, वे मान सिंह को उसका बयान दर्ज कराने के लिए दरोगा जी के पास नहीं ले गए, क्योंकि मान सिंह ने स्वयं उन्हें बताया था कि उसका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

76- इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब इस साक्षी को पता चला कि धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके बयान में मान सिंह का नाम उल्लेखित नहीं था, तब मान सिंह का बयान विवेचना अधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि साक्षीगण के बयान अनुचित देरी के साथ दर्ज किए गए थे।

77- तदनुसार, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क गुण-दोष से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

78- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान वाद में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह सामने आता है कि मृतक का शव 13:45 बजे भेजा गया था। हालांकि विवेचना अधिकारी जिसने नक्शा-नजरी तैयार किया था, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने नक्शा-नजरी में शव की वहां उपस्थिति का उल्लेख किया था, यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोजन द्वारा किए गए संपूर्ण दस्तावेजीकरण पूरी तरह से दूषित हैं और उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है और अभियोजन ने जानबूझकर वास्तविक और भौतिक तथ्यों को दबाया है, और कहानी बाद में केवल संदेह के आधार पर अभियुक्तों को झूठा फँसाने के उद्देश्य से गढ़ी गई है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 10 एससीसी 220** के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। उसी के प्रासंगिक प्रस्तर अर्थात् प्रस्तर संख्या 23 और 24 नीचे उद्धृत हैं:-

"23- अभियोजन साक्षीगण के विरोधाभासी बयानों के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य के मिलान न होने, विवेचना अधिकारी द्वारा साक्षीगण के बयान दर्ज करने में देरी, उचित नक्शा-नजरी की अनुपलब्धता और प्रमाणित बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव में कि गोली अपीलार्थी की जूट बंदूक से चलाई गई थी, विचारण न्यायालय को अभियोजन के विरुद्ध वाद का निर्णय करना था और अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त करना था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का प्रयोग करते हुए यह विचार बनाया कि साक्षीगण के बयान दर्ज करने में देरी के कारणों को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है; कि जैसे ही गोली मृतक के पेट पर लगी, वह तुरंत चबूतरे से गिर गया। इसने आगे अवलोकन किया कि भले ही शांति देवी (पी.डब्ल्यू. 8) का नाम एफ.आई.आर. में उल्लेखित नहीं था, अभिलेख पर अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के साथ घटना के समय उसकी उपस्थिति स्थापित करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य मौजूद है और यह तथ्य उनके पुष्टिकारक बयानों द्वारा स्थापित किया गया है और उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ यह

उल्लेख करना सार्थक है कि दोनों अवर न्यायालयों ने एक समान राय बनाई कि अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 148 और 302/149 के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने में विफल रहा और उन्हें उन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच असहमति केवल अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप के संबंध में है।

24- यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह भूसे से अनाज को अलग करे और बयानों के शोर-शराबे से सच को निकाले। समय के अंतराल के कारण मनुष्यों के लिए अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है, लेकिन यदि ऐसे बयान अभियोजन के मूल को हराने के लिए जाते हैं, तो ऐसे विरोधाभास भौतिक होते हैं और न्यायालय को ऐसे बयानों के प्रति सचेत रहना चाहिए [देखें : तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1959 एससी 1012; पुथु राजा बनाम राज्य, (2012) 11 एससीसी 196; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एससीसी 324]। वर्तमान वाद एक उपयुक्त वाद है, जिसमें भौतिक अतिशयोक्ति और विरोधाभास हैं, जो अनिवार्य रूप से संदेह पैदा करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में उचित है और अभियोजन के प्रकरण के आधार को ध्यान में रखते हुए, हम उचित संदेह से परे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु कारित किया था।"

79- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय का ध्यान विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू.-11 के बयान की ओर आकर्षित किया। अपनी गवाही में, पी.डब्ल्यू.-11 ने बताया कि निरीक्षक जय शंकर दुबे दोपहर लगभग 2:00 बजे उनके पहुँचने के लगभग 10-15 मिनट बाद घटना स्थल से चले गए और उसके बाद लगभग 2:15 बजे, उन्होंने सूचनादाता का बयान दर्ज करना शुरू किया। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने नक्शा-नजरी में जो कुछ भी अंकित किया वह उस पर आधारित था, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घटना स्थल पर देखा था और जो उन्हें साक्षीगण द्वारा बताया गया था।

80- पी.डब्ल्यू.-11 ने आगे बताया कि मौके के निरीक्षण के दौरान उन्होंने घटना स्थल पर शव की उपस्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने स्वीकार किया कि, वास्तव में, निरीक्षण के समय शव मौके पर मौजूद नहीं था और स्पष्ट किया कि उक्त उल्लेख एक लिपिकीय या लेखन की गलती थी। उनके द्वारा तैयार किया गया नक्शा-नजरी प्रदर्शक-12 भी मृतक भजन लाल के शव की उपस्थिति दर्शाता है, जो उनके अनुसार फिर से एक अनजाने में हुई गलती थी, क्योंकि शव पहले ही हटाया जा चुका था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



81- उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि पहले दिन के कागज़ात में विशेष रूप से यह उल्लेख न करना कि उनके पहुँचने से पहले शव हटा दिया गया था, जानबूझकर नहीं किया गया था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया या ऐसी चूकों ने विवेचना को संदिग्ध बना दिया। ये विसंगतियाँ, प्रकृति में मामूली और लिपिकीय होने के कारण, अभियोजन के प्रकरण के मूल को प्रभावित नहीं करती हैं और न ही विवेचना को अविश्वसनीय बनाती हैं।

82- इस साक्षी (पी.डब्ल्यू.-11) के बयान के अनुसार, वे दोपहर लगभग 2:00 बजे घटना स्थल पर पहुँचे। प्रदर्श क-12 के अनुसार, पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे के बीच आयोजित की गई थी। यह सुस्थापित है कि पंचायतनामा पूर्ण होने के बाद, शव को मर्चुरी के लिए आवश्यक संलग्न कागज़ात तैयार करने के बाद ही भेजा जाता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त समय लगता है। पंचायतनामा संचालित करने वाला अधिकारी सामान्य रूप से सभी वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद ही मौके से निकलता है।

83- इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि जब यह साक्षी (पी.डब्ल्यू.-11) घटना स्थल पर पहुँचा, तो पंचायतनामा की कार्यवाही से जुड़ी बाद की औपचारिकताएँ जैसे फोटो-नाश, चालान-नाश, सी.एम.ओ. और आर.आई. को पत्र, नमूना मुहर, कपड़ों में सिलाई के बाद शव को सील करना आदि अभी भी चल रही थीं, और शव वास्तव में उस समय मौके पर मौजूद था और पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शव को उस स्थान से हटा दिया गया और जल्द से जल्द मर्चुरी भेज दिया गया। यह पी.डब्ल्यू.-11 का बयान है कि जब उन्होंने मौके का निरीक्षण शुरू किया, तब शव वहाँ नहीं था, लेकिन उनके बयान में यह नहीं है कि जब वे मौके पर पहुँचे तब शव वहाँ नहीं था। यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने नक्शा-नजरी में "स्थान ए" को उस स्थान के रूप में क्यों उल्लेख किया, जहाँ शव पड़ा था।

84- ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि नक्शा-नजरी शव को हटाए जाने के बाद तैयार किया गया था, लेकिन अनजाने में उसमें शव की पहले की स्थिति दिखाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक लिपिकीय या तथ्यात्मक त्रुटि हुई। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, ऐसी चूक या गलती को इतने परिमाण का नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद किया जा सके या विवेचना को संदिग्ध बनाया जा सके। विसंगति प्रकृति में मामूली है और अभियोजन के मूल संस्करण को प्रभावित नहीं करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



85- इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-1 सुश्री मंजू ठाकुर ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अपीलार्थी वर्तमान वाद में शामिल थे। घटना को सूचनादाता (पी.डब्ल्यू.-1) के साथ-साथ चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने देखा था। हमले के हथियार यानी पिस्तौल और दोनाली बंदूक अपीलार्थियों की निशानदेही पर बरामद किए गए थे। गवाही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि करती है। मृतक के शरीर पर ग्यारह चोटें आई थीं। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दूर-दूर तक यह संकेत दे कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को झूठा फँसाया गया था। अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या किया है और यह न्यायालय दण्डादेश की मात्रा पर कोई नरम रुख न अपनाए जाए।

86- हमने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और पाया है कि सत्र विचारण संख्या - 179 वर्ष 1987 में, अपीलार्थियों को एक भजन लाल की हत्या के लिए धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 चक्षुदर्शी साक्षी हैं। तीनों साक्षीगण ने लगातार बताया कि वे, मृतक भजन लाल के साथ, विवाह संबंधी खरीदारी के उद्देश्य से इटावा की ओर जा रहे थे। जब वे घटना स्थल पर पहुँचे, तो अभियुक्त-अपीलार्थी राम सेवक और जबर सिंह पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आए, जिसे जबर सिंह चला रहा था और राम सेवक पीछे बैठा था। साक्षीगण और मृतक से आगे निकलने के बाद, जबर सिंह ने मोटरसाइकिल रोकी और राम सेवक को भजन लाल को मारने के लिए ललकारा। इस ललकार पर कार्य करते हुए, राम सेवक ने अपनी बंदूक से गोली चला दिया, जिससे मृतक को आग्नेयास्त्र की चोटें आईं। डर के मारे साक्षी अपनी जान बचाने के लिए दौड़े और कुछ दूरी पर स्थित एक गड्ढे में छिप गए। तत्पश्चात, अभियुक्त भजन लाल के पास पहुँचे, जो आग्नेयास्त्र की चोटें लगने के बाद पहले ही जमीन पर गिर चुके थे, और उन पर फिर से करीब से गोली चलाई। परिणामस्वरूप, भजन लाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अभियुक्त राम सेवक की निशानदेही पर, घटना में प्रयुक्त डी.बी.बी.एल. बंदूक बरामद की गई, और अभियुक्त जबर सिंह की निशानदेही पर, एक देशी कट्टा बरामद किया गया। घटना स्थल से चार खाली खोखे भी बरामद हुए। बरामद सभी वस्तुओं को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया। पी.डब्ल्यू.-10 ने आठ परीक्षण फायर किए—दो जबर सिंह के कहने पर बरामद देशी कट्टे से और छह राम सेवक के कहने पर बरामद डी.बी.बी.एल. बंदूक से किए। परीक्षण करने पर, यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पाया गया कि मौके से बरामद चार खाली खोखों में से दो बरामद डी.बी.बी.एल. बंदूक से और शेष दो बरामद देशी कट्टे से दागे गए थे। मृतक भजन लाल के पोस्टमार्टम परीक्षण में ग्यारह चोटें प्रकट हुईं, जिनमें से आठ आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव और तीन निकास घाव थे। यह इंगित करता है कि मृतक पर कम से कम आठ गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से तीन बहुत करीब से चलाई गई थीं, जबकि शेष कुछ दूरी से थीं। यह चिकित्सीय साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही की पूरी तरह से पुष्टि करता है, जिन्होंने बताया कि राम सेवक के मोटरसाइकिल से नीचे उतरने के बाद, दोनों अभियुक्त बाद में भजन लाल के पास पहुँचे और उन पर करीब से गोली चलाई गई।

87- पूर्वगामी चर्चा के आलोक में और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम इस सुविचारित राय के हैं कि चक्षुदर्शी साक्षी अपने बयानों में सुसंगत और विश्वसनीय रहे हैं। तीनों साक्षीगण ने अभियोजन पक्ष के वाद का पूरी तरह समर्थन किया है, और उनकी गवाही विशेषज्ञ साक्ष्य, यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा विधिवत पुष्टि है। इसलिए, यह उचित संदेह से परे स्थापित है कि अभियुक्त-अपीलार्थी राम सेवक और जबर सिंह वही व्यक्ति थे, जिन्होंने संबंधित तिथि, समय और घटना स्थल पर मृतक भजन लाल पर गोली चलाई थी, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को तीन चक्षुदर्शी साक्षीगण, यानी पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने देखा था।

88- वाद के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर गहन विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस सुविचारित विचार का है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही और विधि के अनुसार अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन ने अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सही ढंग से दोषसिद्ध किया है और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद, आजीवन कारावास की सजा दिया गया है।

89- यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और निकाले गए परिणामों के साथ पूर्ण सहमति रखता है। इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जो इसे वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी कर सके। वर्तमान अपील गलत और निराधार आधारों पर दायर की गई है और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को धारा 302 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत सामान्य अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशय के साथ हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन धारा 34 भा.द.सं. (सामान्य आशय) की प्रयोज्यता तब प्रकाश में आती है, जब अपराध करने में मुख्य भूमिका कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाई जाती है, जबकि सक्रिय अपराधी के अलावा, कुछ अन्य अभियुक्त मौके पर मौजूद होते हैं और अपराध उन सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया होता है और उस स्थिति में वे सभी व्यक्ति, जिनके सामान्य आशय के अग्रसरण में अपराध किया गया था, व्यक्तिगत दायित्व के रूप में सभी अपराधों के किए जाने के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। लेकिन वर्तमान वाद में, दो अभियुक्त/अपीलार्थी हैं और दोनों को मामले में सक्रिय भूमिका सौंपी गई है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों ने मृतक पर अपने संबंधित आग्नेयास्त्रों से गोली चलाई थी, ऐसी स्थिति में धारा 34 भा.द.सं. की प्रयोज्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोषसिद्धि के आदेश को संशोधित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी राम सेवक और जबर सिंह को इसके द्वारा धारा 302 भा.द.सं. यानी मृतक भजन लाल की हत्या का अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है और दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालांकि विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दण्डादेश विधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है क्योंकि धारा 302 भा.द.सं. न्यायालय पर हत्या के अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ अर्धदंड देने का दायित्व डालती है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया है, लेकिन अर्धदंड लगाने की अनदेखी किया है, जिसे आजीवन कारावास के दण्डादेश के अतिरिक्त अपीलार्थियों पर अर्धदंड लगाकर सुधारा जाना चाहिए।

90- तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इस सीमा तक कि वह धारा 302 भा.द.सं. से संबंधित है, बरकरार रखा जाता है और अभियुक्त **राम सेवक** और **जबर सिंह** को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक को 10,000/- रुपये का अर्धदंड देने के लिए दण्डादिष्ट किया जाता है। उपरोक्त मुकदमा अपराध में अर्धदंड के भुगतान में चूक की स्थिति में, वे दोनों दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे।

91- अभियुक्त-अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है। वे विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें अधिनिर्णीत शेष दण्डादेश को भुगतने के लिए एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसा न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने पर, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक उपाय अपनाने का निर्देश दिया जाता है।

92- विचारण न्यायालय के अभिलेख को निर्णय की प्रति के साथ दस दिनों के भीतर विचारण न्यायालय भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

20 जनवरी, 2026

आरती